केवल शासकीय प्रयोजनार्थ

(प्रतिवेदन क्रमांक–439)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित ''करिश्मा परियोजना'' का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - xiii
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 6
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	7 – 28
तृतीय	अध्ययन के परिणाम	29 – 39
चतुर्थ	अध्ययन के निष्कर्ष	40 – 45
	परिशिष्ट–*I*	46

———

उद्‌बोधन

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जहाँ एक ओर अत्याधुनिक तकनीकों का आविष्कार हुआ है वहीं दूसरी ओर संचार साधनों का भी विस्तार हुआ है। राज्य में करिश्मा (''कम्प्यूटराईजेशन आटोमेशन रिफाइनमेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड़ एकाउन्ट्स'') परियोजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से माह दिसम्बर,2005 से प्रारम्भ की गयी। इस परियोजना अन्तर्गत 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समितियों एवं 1114 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं वायरलैस प्रौद्योगिकी से जोड़कर लेखा, पंजीयन, प्रमाणन आदि को कम्प्यूटरीकृत करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

इस परियोजना के मूल्यांकन से जानकारी हुई है कि राज्य स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक कम्प्यूटर नेटवर्किंग का सशक्त आधारभूत ढ़ाँचा तैयार हुआ है। परियोजना के उद्‌देश्यों की पूर्ति एवं सूचना प्रसारण प्रारम्भिक स्थिति में है, जिसे प्रभावी बनाने हेतु नेटवर्किंग कनेक्टीविटी की निरन्तरता, नियमित बिजली आपूर्ति, कार्मिक वर्ग को प्रभावी प्रशिक्षण एवं जन–सामान्य के उपयोग की सूचना उपलब्ध कराने के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता उजागर हुई है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए निहित उद्‌देश्यों की उपलब्धि हेतु सारगर्भित सुझाव दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : 2 मार्च 2010
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

21वीं सदी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति आयी है। ''इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एकाउन्ट्स'' की अवधारणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं का आपस में कम्प्यूटर एवं वायरलैस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर विभागीय कार्यों की प्रभावी मॉनेटरिंग एवं जन–सामान्य को सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से करिश्मा परियोजना प्रारम्भ की गयी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना का मूल्यांकन सैम्पल आधार पर चार जिला परिषदों क्रमशः अलवर, जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर की 8 पंचायत समितियों एवं 16 ग्राम पंचायतों का चयन कर किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर की प्रलेख सूचनाएं एकत्र की गयी है। अध्ययन दल द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों से विभिन्न पक्षों पर विमर्श कर सूचना एकत्र की गयी तथा परियोजना में सृजित संसाधनों का भौतिक सत्यापन भी किया है। इस प्रकार तैयार किये गये प्रतिवेदन में परियोजना के क्रियान्वयन पक्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथास्थान सुझाव अंकित किये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन पाठकगणों के लिए रूचिकर एवं कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी साबित होगा।

तिथि : 2 मार्च, 2010
स्थान : जयपुर

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित
''करिश्मा परियोजना'' का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I परिचयात्मक विवरण :

21वीं सदी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आयी है। जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक तकनीकों का आविष्कार हुआ है वहीं इसी क्षेत्र से जुड़े संचार के साधनों का भी विस्तार हुआ है। ''इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड़ एकाउन्टस्'' की अवधारणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आपस में कम्प्यूटर एवं वायरलैस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर लेखा, पंजीयन, प्रमाणन आदि को कम्प्यूटरीकृत करने की राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को ''करिश्मा (CARISMA) परियोजना'' का नाम दिया गया। करिश्मा का शब्दार्थ ''कम्प्यूटराईजेशन ऑटोमेशन रिफाइनमेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड़ एकाउन्टस्'' के अन्तर्गत राज्य की सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। करिश्मा प्रोजेक्ट की शुरूआत होने से राजस्थान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के साथ एशिया में सबसे बड़े वायरलैस नेटवर्क वाला राज्य हो गया है।

II करिश्मा परियोजना से अभिप्राय :

करिश्मा परियोजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर फार्म व आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आय–व्यय व निर्माण आदि कार्यों का ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, लेखा, वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन, सूचना का आदान–प्रदान, ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, विभिन्न विभागीय मामलों की सुनवाई आदि की जानकारी, वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की सम्पूर्ण जानकारी आदि को कम्प्यूटरीकृत करना है।

III परियोजना का क्रियान्वयन :

करिश्मा परियोजना का प्रारम्भ 9 दिसम्बर,2005 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। इसी दिवस पर तत्कालीन माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा चूरू जिले की सालासर ग्राम पंचायत की सरपंच से वीड़ियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बातचीत की गई। ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रथम स्तर पर पहले दिन 8 स्थानों पर किया गया। तत्पश्चात् राज्य के 32 जिलों की 237 पंचायत समितियाँ एवं 1114 ग्राम पंचायतों में परियोजना को आपस में जोड़ते हुए शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जोड़ा गया।

IV मूल्यांकन की आवश्यकता :

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस परियोजना का मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा सम्पादित किया गया।

V मूल्यांकन के उद्देश्य :

करिश्मा परियोजना के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) परियोजना की उपयोगिता का विश्लेषण करना,
(iii) परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की समीक्षा करना,
(iv) ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, एवं
(v) योजना क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात करके सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

VI न्यादर्श परिकल्पना :

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा करिश्मा परियोजना के मूल्यांकन हेतु समय व संसाधनों को ध्यान में रखते हुये अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर न्यादर्श का चयन निम्न प्रकार से किया गया है :–

(क) प्रथम स्तर पर परियोजना के प्रथम चरण में (2005–06 से 2008–09 तक) योजना से जुड़ी हुई कुल पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को इकजाई संख्या/प्रगति को संभागवार घटते हुये क्रम में जमाया जाकर सर्वाधिक जुड़ी हुई संस्थाओं की संख्या वाले 50 प्रतिशत संभागों का चयन किया गया। इस प्रकार चार संभाग यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग का चयन मूल्यांकन हेतु किया गया।

(ख) द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित संभाग के संदर्भित चरण में परियोजना से सर्वाधिक जुड़ी हुई कुल संस्थाओं की जिलेवार सर्वाधिक संख्या के आधार पर प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले का चयन किया गया जिनमें अलवर, जोधपुर, नागौर व उदयपुर जिले का चयन किया गया है।

(ग) तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले में उन दो पंचायत समिति का चयन किया गया जहाँ सर्वाधिक ग्राम पंचायत इस परियोजना से जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्रत्येक जिले से दो पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(घ) चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धति से किया गया जो इस परियोजना से जुड़ी हुई है।

(च) पंचम् स्तर पर चयनित पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत पर गत चार वर्षों से परियोजना से लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सूची में से 10–10 लाभान्वितों का चयन किया जाना सुनिश्चित किया गया।

VII संदर्भ अवधि :

मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित प्रलेख सूचनाऐं वर्ष 2005–06 से 2009 (मार्च माह) तक की एकत्रित की गयी तथा सम्बन्धित अन्य अनुसूचियों में विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथी फरवरी,2009 के अंकित किये गये।

VIII परियोजना की भौतिक स्थिति :

करिश्मा परियोजना द्वारा पंचायती राज संस्थाओं जिनमें 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समितियाँ और 9184 ग्राम पंचायतें है। प्रथम चरण में प्राप्त राशि से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के साथ–साथ 1114 ग्राम पंचायतों को परियोजनान्तर्गत आपस में जोड़ते हुए शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के सर्वर से जोड़ा गया।

द्वितीय चरण से शेष रही 8070 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित था, जो वर्तमान (सितम्बर,2009) तक नहीं जोड़ी गयी है।

IX वित्तीय प्रगति की समीक्षा :

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक परियोजना के संचालन हेतु उपलब्ध करवायी गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध सहायता राशि	:	26.38 करोड़ रुपये
(2)	बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि	:	18.45 करोड़ रुपये
(3)	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	:	02.00 करोड़ रुपये
(4)	पी.ई.आई.एस.योजना	:	00.70 करोड़ रुपये
	कुल योग	:	47.53 करोड़ रुपये

करिश्मा परियोजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को कुल 47.53 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि में से वर्ष 2008–09 तक विभाग द्वारा 44.44 करोड़ (93.50 प्रतिशत) व्यय किया गया है।

X जिला स्तरीय प्रगति :

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा संचालित करिश्मा परियोजनान्तर्गत चार संभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभागों का चयन कर अध्ययन किया जाना विभाग की राय से तय किया गया। चयनित चार संभागों में से अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं नागौर जिलों को चयनित किया गया। प्रत्येक जिले से 2 पंचायत समिति एवं 4 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

इस प्रकार कुल 4 जिलों की 8 पंचायत समिति एवं 16 ग्राम पंचायतों का चयन क्षेत्र कार्य हेतु किया गया। इन चयनित संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत प्रसारित लाभों के 10–10 लाभार्थियों का चयन किया जाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार 240 लाभार्थी चयन होने प्रस्तावित थे, इस अनुसूची में परियोजना से लाभान्वित (पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर) व्यक्तियों से भरे जाने का प्रावधान रखा गया परन्तु नेटवर्किंग कनेक्टीविटी न होने के कारण आमजन को इस योजना में लाभ/सुविधा नहीं मिल सकी। अतः लाभार्थी नहीं मिलने से लाभार्थी अनुसूचियाँ किसी भी जिले की नहीं भरी जा सकी।

XI योजना संचालन से सम्बन्धित क्रियान्वयन एजेन्सी :

चयनित शत–प्रतिशत पंचायत राज संस्थानों में पंचायती राज विभाग/आई.टी. आई.,नई–दिल्ली द्वारा योजना को क्रियान्वित किया गया है।

XII कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी विवरण :

ग्रामीण संस्थाओं में कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी विवरण की जानकारी प्राप्त की गई तद्नुसार चयनित जिलों में कुल 45 पंचायत समितियों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना था, जिनमें से शत–प्रतिशत पंचायत समितियों को नेटवर्क से जोड़ा गया। चयनित जिलों में कुल 1774 ग्राम पंचायतों में से 226 (12.74 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोड़ा गया। कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी चयनित जिलों की चयनित पंचायत समिति का विवरण प्राप्त किया गया। चयनित 8 पंचायत समितियों में से शत–प्रतिशत पंचायत समितियों को नेटवर्क से जोड़ा गया। सभी ग्राम पंचायतों में नेटवर्क से जोड़ने की प्रगति 19.19 से 6.36 प्रतिशत पायी गयी। कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई 8 पंचायत समिति के कुल 388 ग्राम पंचायतों में से 59 (15.21 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना पाया गया। सभी ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से नहीं जोड़ने की स्थिति में करिश्मा के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर समग्र सूचना उपलब्ध होना संभव नहीं हो सका है। अतः वांछित उपलब्धि की दृष्टि से करिश्मा में वांछित परिणाम प्राप्त करना अब भी दूर की कोड़ी नजर आता है। यह तो योजना के प्रारम्भ की स्थिति ही दृष्टिगोचर होती है।

XIII पॉवर उपलब्धता की स्थिति :

(1) कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने पर उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पॉवर उपलब्धता की स्थिति का आकलन किया गया। चयनित शत–प्रतिशत जिला परिषद को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया अर्थात् चयनित जिलों में कम्प्यूटर नेटवर्क से सम्बन्धित संसाधन उपलब्ध करवाये गये। चयनित जिलों में नियमित बिजली की सप्लाई सभी जिलों द्वारा नहीं होना पाया गया। चयनित जिलों में अनियमित बिजली की सप्लाई पाई गई। जिन जिलों में बिजली अनियमित पाई गई उनमें कम्प्यूटर को चालू किये जाने हेतु 3 जिलों में इनवर्टर, समस्त जिलों में यू.पी.एस. व 2 जिलों में बैटरी की व्यवस्था की गई तथा चयनित जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

(2) चयनित जिला परिषद की 8 पंचायत समिति में से बिजली की नियमित सप्लाई 3(37.5 प्रतिशत) पंचायत समिति में पायी गई, 5 (62.5 प्रतिशत) पंचायत समिति में अनियमित बिजली सप्लाई पाई गई। बिजली की अनियमित सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने हेतु 5 पंचायत समिति में से 1 (20.00 प्रतिशत) में इनवर्टर, 2 (40.00 प्रतिशत) में यू.पी.एस. लगा हुआ तथा 2 पंचायत समिति में से अलवर की एक पंचायत समिति में बन्दर द्वारा टॉवर के तार काट दिये जाने के कारण व कम्प्यूटर खराब होने/कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर बन्द पड़ा है तथा उदयपुर की एक पंचायत समिति में कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर बन्द पड़ा है। इस प्रकार कुल चयनित 8 पंचायत समिति में से 3 (37.5 प्रतिशत) में बिजली नियमित सप्लाई व्यवस्था थी, 5 पंचायत समिति में अतिरिक्त बिजली सप्लाई होने की वजह से, 3 पंचायत समिति में वैकल्पिक व्यवस्था तथा 2 पंचायत समिति में व्यवस्था क्षतिग्रस्त होने से कम्प्यूटर अकार्यशील पाये गये। क्षतिग्रस्त व्यवस्था को सुचारू करने में प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो सके हैं।

XIV कम्प्यूटर/साफ्टवेयर की उपलब्धता :

साफ्टवेयर की उपलब्धता एवं कार्यशीलता के बारे में चयनित 33 अधिकारी/गैर–अधिकारियों में से 23 अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने कम्प्यूटर/साफ्टवेयर कार्यशील नहीं होना बताया उनमें से अलवर, जोधपुर, उदयपुर के अधिकारी/गैर–अधिकारियों द्वारा कनेक्टीविटी नहीं होना एवं साफ्टवेयर का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बतलाया। नागौर के अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने सिस्टम में वायरस आना, प्रशिक्षण का अभाव एवं बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर की कार्यशीलता में बाधा बतायी है। कम्प्यूटर/साफ्टवेयर में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पत्र भी लिखा जाना बतलाया गया। विभाग द्वारा आई.आई.टी.लिमिटेड़ कम्पनी जिसकों कार्य करवाये जाने हेतु ठेका दिया गया उसके द्वारा आगामी वर्ष (वारंटी अवधि) तक देखभाल/निगरानी करवायी जाने हेतु भी पाबन्दित किया जाना चाहिए।

XV परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था :

कम्प्यूटर के रखरखाव एवं प्रबन्ध व्यवस्था को उपयुक्त बनाने हेतु अधिकारी एवं गैर–अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक आपरेटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, साफ्टवेयर से सम्बन्धित इन्जीनियरों की नियुक्ति किये जाने का भी सुझाव दिया। अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाकर कम्प्यूटर एवं उपकरणों के रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कम्प्यूटर मोनीटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस. इत्यादि को रखने के लिए समुचित कमरे की व्यवस्था हो तथा जहाँ पर ग्राम पंचायत भवन सड़क के किनारे पर है वहाँ चोरी के भय से सैट–अप नहीं किया जा रहा है, वहाँ चोरी से बचाने की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली कटौती के कारण यू.पी.एस. चार्ज नहीं होने से कनेक्टीविटी बाधित हो जाती है, कार्य सुचारू नहीं चल पाता है और कार्य करने में परेशानी आती है। अतः पंचायत समिति स्तर पर यू.पी.एस. अधिक वॉल्टेज के लगाये जाने चाहिए। पंचायत समिति स्तर पर इन्वर्टर लगाया जावे, बैटरी की अतिरिक्त व्यवस्था की जावे जिससे कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

XVI मोनिटरिंग एवं निरीक्षण व्यवस्था :

चयनित जिला परिषद में निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में चयनित जिलों की 16 ग्राम पंचायतों में से अलवर एवं जोधपुर की 8 (50 प्रतिशत) में किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया। नागौर जिले की 1 (25 प्रतिशत) में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा एक बार निरीक्षण किया जाना बतलाया। उदयपुर जिले की 3 (75 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा 1, विकास अधिकारी द्वारा 10, कम्प्यूटर इन्जीनियर द्वारा 3 एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा 15 बार निरीक्षण किया जाना बतलाया गया। इस प्रकार उदयपुर को छोड़कर शेष जिलों की 12 (75 प्रतिशत) ग्राम पंचायत में निरीक्षण नहीं किया गया। अतः विभाग को निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

अधिकारी/गैर–अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण एवं मोनिटरिंग व्यवस्था भी कमजोर पायी गई।

XVII नेटवर्क की समस्याओं के निराकरण बाबत :

कम्प्यूटर नेटवर्क में आने वाली समस्याओं हेतु नागौर एवं उदयपुर जिले में शिकायत रही। अलवर जिले की चयनित एक पंचायत समिति में कम्प्यूटर खराब होना पाया गया जिसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है। जोधपुर जिले में कम्प्यूटर कार्य अपूर्ण बतलाया गया, कम्प्यूटर कार्य अपूर्ण होने के कारण उत्पन्न समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं बतलायी गई। नागौर जिले में 2 में से 1 पंचायत समिति में रखरखाव में आने वाली समस्या का समाधान नहीं होना पाया गया। उदयपुर जिले की

दोनों पंचायत समिति द्वारा रखरखाव की व्यवस्था किये जाने हेतु बजट का अभाव एवं पृथक से आपरेटर नहीं होना बतलाया गया। इस प्रकार 3 पंचायत समिति में रखरखाव की व्यवस्था नहीं होना पाया गया तथा समाधान की व्यवस्था भी शत–प्रतिशत में नहीं किया जाना बतलाया गया।

XVIII मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था :

चयनित जिला परिषद् द्वारा मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में नागौर जिला परिषद् द्वारा सूचना कम्प्यूटर में फीड करने एवं आवेदन पत्र के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर भेजने की व्यवस्था किये जाने हेतु बतलाया गया, शेष जिलों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों ने हाथ से लिखकर सूचना भेजने हेतु बताया गया एवं उदयपुर, जोधपुर में सूचना भेजने हेतु ऑन–लाईन कनेक्टीविटी नहीं होने के कारण सूचना भेजने की कोई व्यवस्था नहीं होना बतलाया गया। इस सम्बन्ध में कम्प्यूटर व्यवस्था को प्रभावी कर विभाग को सूचना कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

XIX सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायत राज संस्थाऐं (PRI) में परस्पर सम्बन्ध :

33 अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों ने करिश्मा परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पी.आर.आई. के मध्य परस्पर सम्पर्क कायम रहने के सम्बन्ध में नागौर जिले के 3 (9.09 प्रतिशत) अधिकारियों द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं में सम्पर्क रहना एवं कम्प्यूटर प्रिन्टर उपलब्ध रहना बताया, शेष 30 (90.91 प्रतिशत) द्वारा परस्पर सम्पर्क व कम्प्यूटर प्रिन्टर उपलब्ध नहीं रहना बतलाया।

XX परियोजना से लाभ :

समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी अधिकारियों से परियोजना के लाभों के बारे में पूछने पर 33 में से 7 (21.21 प्रतिशत) ने कार्य में एकरूपता लाने एवं सभी प्रकार की सूचनाओं के उपयोगी होने के बारे में बतलाया तथा 3 (9.09 प्रतिशत) ने कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए सभी प्रकार के साफ्टवेयर उपलब्ध करवाने के लिए कहा, शेष 23 ने (69.70 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर को इन्टरनेट से नहीं जोड़ने के कारण योजना से लाभान्वित नहीं होना बतलाया, क्योंकि कम्प्यूटर चालू नहीं होने से उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है।

XXI भविष्य में प्राप्त होने वाली सुविधाओं सम्बन्धी विवरण :

इस परियोजना से भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पंचायत राज गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाना सुलभ होना तथा ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर नेटवर्क पर सभी रिकार्ड सुरक्षित रखे जा सकेगें, उच्च स्तर की समस्त सूचनाएँ कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहने से सूचनाओं का आदान–प्रदान करवाना संभव हो सकता है। सम्पूर्ण कार्यक्रम इन्टरनेट से जुड़ सकते है जिससे पोस्टेज खर्चा, यात्रा भत्ता बच सकता है एवं संस्थाओं से सम्पर्क रखने में आसानी रहेगी। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी उपयोगी है तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पंचायत राज की गतिविधियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अल्प समय में हाथों–हाथ दूरदराज के स्थानीय लोगों को उपलब्ध प्रमाण–पत्र एवं सूचना आसानी से मिल जाने के कारण यह योजना अत्यधिक उपयोगी है। जोधपुर जिले के अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों ने योजना पर कोई कार्य नहीं होने से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। योजनान्तर्गत कार्य नहीं किया गया जिससे उपकरण अकार्यशील हो रहे है। उपकरणों को वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। अतः उपकरणों को कार्यशील बनाने के प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए।

XXII करिश्मा परियोजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्य :

करिश्मा परियोजनान्तर्गत जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर फार्म व आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आय–व्यय व निर्माण आदि का ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, लेखा वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन किया जाकर सूचना का आदान–प्रदान, ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, विभिन्न विभागीय मामलों, सुनवाई आदि की जानकारी, वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की सम्पूर्ण जानकारी को कम्प्यूटरीकृत करना था। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर वर्ष 2005 से 2008–09 तक 44.44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

करिश्मा परियोजना द्वारा जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की उपलब्धता, साफ्टवेयर तैयार करना, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ रखरखाव की जानकारी दी जानी थी तथा पंचायत राज की बेवसाईट पर समस्त रिकार्ड के विशेष साफ्टवेयर, कम्प्यूटर प्रिन्टर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी संस्थाओं के परस्पर सम्पर्क तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा प्रदान की गई जानी थी। यह योजना कहाँ तक सफल रही तथा योजना संचालन में प्राप्त कठिनाइयों एवं सुझाव को आगामी बिन्दुओं पर दर्शाया जा रहा है।

XXIII परियोजना के संचालन में आ रही कठिनाइयाँ एवं निराकरण हेतु सुझाव :

करिश्मा परियोजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनको प्रभावी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. नेटवर्क कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में :

अध्ययन हेतु चयनित जिला परिषद अलवर, जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर चारों को नेटवर्क से जोड़ा गया है, परन्तु चयनित जिलों की चयनित पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोडने का प्रतिशत 15.21 ही रहा। सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से नहीं जोडने से पंचायत समिति स्तर पर सूचना उपलब्ध होना सम्भव नहीं हो सका है। इसी प्रकार उपलब्धि की दृष्टि से करिश्मा में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये। इसी प्रकार चयनित 16 ग्राम पंचायत में से भी 10 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया, शेष 6 की कनेक्टीविटी नहीं होने से नेटवर्क से नहीं जोडा जा सका। इससे ज्ञात होता है कि संस्थाओं को उपलब्ध करवाये गये उपकरणों का शत–प्रतिशत उपयोग संभव नहीं हो सका है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि उपकरणों का शत–प्रतिशत उपयोग किये जाने हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोडा जाना चाहिए ताकि उपकरणों का उपयोग संभव हो सके एवं पंचायत राज की गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जन समुदाय को प्राप्त हो सके।

2. पॉवर उपलब्धता की स्थिति :

नेटवर्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु बिजली की अनियमित सप्लाई चयनित चारों जिलों में पायी गई। बिजली की कटौती से कम्प्यूटर पर प्रभाव होना, पर्याप्त बिजली नहीं मिलना भी कम्प्यूटर के प्रयोग में कमी बतायी है। नागौर जिले के अधिकारियों ने आंधी के कारण टॉवर का टूटना भी बताया है, विद्युत आपूर्ति पूर्णतया नहीं होने के कारण भी कम्प्यूटर के संचालन में कठिनाई आना बताया गया है। चयनित जिलों की अधिकांश पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में भी बिजली की अनियमित सप्लाई पाई जिसके कारण अधिकांश कम्प्यूटर अकार्यशील पाये गये। अलवर की एक पंचायत समिति में बन्दर द्वारा टॉवर के तार काट दिये जाने से भी कम्प्यूटर बन्द पाया गया। इस प्रकार कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बिजली से प्रभावित हो रही है जिससे कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। करिश्मा प्रोजेक्ट किसी न किसी उपरोक्त कारणों से सुचारू रूप से पूर्णतः कार्यशील नहीं पाया गया। विद्युत आपूर्ति पूर्ण नहीं होने से कनेक्टीविटी एवं संचालन में कठिनाइयाँ पायी गई।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जहाँ–जहाँ कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं वहाँ विद्युत आपूर्ति हेतु उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत की आपूर्ति करना/उच्च क्षमता के यू.पी.एस./बैटरिया लगानी चाहिए तथा बिजली की सही फिटिंग एवं नियमित सप्लाई होनी चाहिए। बिजली की समस्या को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए तथा टॉवर में खराबी होने पर उनको शीघ्रता से ठीक करवाया जाना चाहिए।

3. **योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये हार्डवेयर/साफ्टवेयर की उपलब्धता :**

योजनान्तर्गत चयनित जिलों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में हार्डवेयर/साफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण जो उपलब्ध करवाये गये हैं वहाँ पर बिजली की नियमित सप्लाई एवं जयपुर से कनेक्टीविटी नहीं होने से कार्यशील नहीं पाये गये। साफ्टवेयर भी कार्यशील नहीं पाये गये जिसका मुख्य कारण कनेक्टीविटी नहीं होना बताया गया। कम्प्यूटर के सी.पी.यू./यू.पी.एस. अच्छी कम्पनी के उपलब्ध नहीं करवाने व पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। पृथक बजट नहीं होने से रखरखाव में बाधा होती है। कम्प्यूटर/साफ्टवेयर जो उपलब्ध करवाये गये वे अच्छी कम्पनी के नहीं होना, खराब होना व टावर में खराबी आने पर ठीक करवाने की व्यवस्था का अभाव बताया है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कनेक्टीविटी को चालू रखवाने के विभाग को प्रयास करने चाहिए। कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए तथा फर्नीचर व ए.सी.कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। खराब कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर ठीक करवाये जाने चाहिए। आई.टी.आई. लि. नई–दिल्ली का तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होने पर उपलब्ध रहने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए। सम्बन्धित संस्था द्वारा समुचित देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. **प्रशिक्षण के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर संचालन हेतु दिया गया प्रशिक्षण असन्तोषजनक बताया गया। प्रशिक्षण असन्तोषजनक रहने का मुख्य कारण अपर्याप्त एवं अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना बतलाया। अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण कम्प्यूटर संचालन में कठिनाई व्यक्त की गई। कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होने से पूर्णतः कम्प्यूटर पर कार्य करने एवं कम्प्यूटर के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य करने में अधिकांश ने कठिनाई जताई है। स्टाफ में कम्प्यूटर की जानकारी का अभाव/प्रशिक्षण का अभाव पाया गया। ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध नहीं है, कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

अतः सुझाव है कि कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु स्टॉफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। हार्डवेयर/साफ्टवेयर का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावे। प्रशिक्षण अवधि कम से कम 15 दिवस की होनी चाहिए। तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जावें एवं कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध करवाया जावें।

5. **मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा मासिक प्रगति कम्प्यूटर पर तैयार कर भेजने के सम्बन्ध में अधिकांश द्वारा आन लाइन कनेक्टीविटी नहीं होने से तथा कम्प्यूटर का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण कम्प्यूटर पर सूचनाएं तैयार नहीं किया जाना पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में विभाग को कम्प्यूटर द्वारा सूचना तैयार करने हेतु प्रभावी ढ़ांचा सृजित किया जाना चाहिए तथा सूचना कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए तब ही योजना की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

6. **निरीक्षण एवं मोनेटरिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से निरीक्षण एवं मोनेटरिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि नागौर एवं उदयपुर जिलों एवं पंचायत समिति में ही निरीक्षण किया जाना पाया गया। विभाग द्वारा निरीक्षण के नार्मस निश्चित नहीं होने से निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया जिससे कम्प्यूटर के रखरखाव में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण नहीं हो पाया।

अतः इस सम्बन्ध में निरीक्षण एवं मोनेटरिंग को प्रभावी बनाने हेतु निरीक्षण के नार्मस निश्चित किये जाने चाहिए ताकि निरीक्षण नियमित रूप से होता रहे और योजनान्तर्गत आने वाली कठिनाइयों का जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जा सके।

7. **अन्य कठिनाइयाँ एवं सुझाव :**

(i) कहीं–कहीं कम्प्यूटर के चोरी का भय होने से सुरक्षा का अभाव पाया गया, इस कारण सरपंच, ग्रामसेवक की रखरखाव हेतु जिम्मेदारी तय की जावें।

(ii) पूर्व के वर्षों के आंकड़ों का इन्द्राज नहीं होने से आगामी प्रविष्टियों में कठिनाई आना बतलाया। अतः पूर्व के वर्षों के आंकड़ों का इन्द्राज प्रशिक्षित/लेखा विशेषज्ञ का ज्ञान रखने वाले कर्मियों से कराया जाना चाहिए ताकि एक वृहद डाटाबैस तैयार होकर कार्य चलता रहे ताकि आगामी प्रविष्टियाँ करने में कठिनाई नहीं आवे।

(iii) पृथक कमरे का अभाव, संसाधन के साथ फर्नीचर का अभाव पाया गया। अतः सुझाव है कि कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए तथा फर्नीचर व ए.सी.कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iv) उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र होने से कनेक्टीविटी में बाधा रहती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे टॉवर लगाये जावें कि कनेक्टीविटी बाधित न हो सके।

(v) करिश्मा परियोजना के तहत लगाये गये ग्रामसेवकों का बार–बार स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामसेवकों के स्थानान्तरण से कार्य बाधित होता है। अतः ऐसे कार्यकर्त्ता को तैयार करवाया जावे जो कार्य में रूचि लेकर कार्य सम्पन्न कर सके।

XXIV सांराश :

करिश्मा राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरूआत 9 दिसम्बर 2005 को हुई। यह राज्य में सूचना क्रान्ति के युग की शुरूआत थी। इस घटना के बाद राजस्थान भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े वायरलेस नेटवर्क वाला राज्य बना। योजनान्तर्गत 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समिति और 9184 ग्राम पंचायते हैं। इनमें से माह जून, 2009 तक प्रथम चरण में सभी जिला परिषद एवं पंचायत समिति के साथ–साथ 1114 ग्राम पंचायतों को शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सर्वर से जोड़ने का कार्य किया गया। इस परियोजना के लिए 47.53 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। जिसमें से मार्च, 2009 तक 44.44 करोड़ रूपये की राशि व्यय को व्यय किया गया। इस व्यय राशि के मध्येनजर राज्य की कुल 9184 ग्राम पंचायतों में से 1114 (12.13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतें तीन वर्ष की अवधि में जोड़ी गई। जोड़ी गई अधिकांश संस्थाओं में नियमित बिजली सप्लाई के अभाव में कार्यप्रणाली बाधित पाई गई, यद्यपि कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु इनवर्टर, बेटरी एवं यू.पी.एस. की व्यवस्था की गई। परियोजनान्तर्गत कार्यकारी वर्ग के वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक 2517 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के बारे में चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने अवगत करवाया कि प्रशिक्षण अपर्याप्त पाठ्यक्रम एवं अल्पावधि के थे। जिसकी वजह से प्रदत्त प्रशिक्षण प्रभावी रूप से कार्य करने में सहायक नहीं रहे। कम्प्यूटर नेटवर्क से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर से की गई शिकायतों का निवारण समय पर नहीं होने से मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने, लेखा–वित्त, आय–व्यय ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, संस्थापन आदि कार्य सम्पादन में कठिनाई महसूस किया जाना बतलाया गया।

इस परियोजना के बारे में आमजन को लाभान्वित करने के बारे में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्यकारी वर्ग से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रभावी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आमजन को लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। राज्य की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, प्रभावी प्रशिक्षण, नियमित बिजली आपूर्ति, कार्मिक वर्ग की कार्य पद्धत्ति में बदलाव, संधारण हेतु बजट के प्रावधान एवं आम जनता को व्यवस्था की जानकारी दी जाकर प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।

———

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 21वीं सदी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आयी है। जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक तकनीकों का आविष्कार हुआ है वहीं इसी क्षेत्र से जुड़े संचार के साधनों का भी विस्तार हुआ है। ''इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड़ एकाउन्टस्'' की अवधारणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आपस में कम्प्यूटर एवं वायरलैस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर लेखा, पंजीयन, प्रमाणन आदि को कम्प्यूटरीकृत करने की राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को ''करिश्मा (CARISMA) परियोजना'' का नाम दिया गया। करिश्मा का शब्दार्थ ''कम्प्यूटराईजेशन ऑटोमेशन रिफाइनमेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड़ एकाउन्टस्'' के अन्तर्गत राज्य की सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। करिश्मा प्रोजेक्ट की शुरूआत होने से राजस्थान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के साथ एशिया में सबसे बड़े वायरलैस नेटवर्क वाला राज्य हो गया है।

1.2.0 करिश्मा परियोजना से अभिप्राय :

1.2.1 करिश्मा परियोजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है। करिश्मा का अर्थ ''कम्प्यूटराईजेशन ऑटोमेशन रिफाइनमेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एकाउन्ट्स'' है, जिसके द्वारा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर फार्म व आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आय–व्यय व निर्माण आदि कार्यों का ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, लेखा, वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन, सूचना का आदान–प्रदान, ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, विभिन्न विभागीय मामलों की सुनवाई आदि की जानकारी, वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की सम्पूर्ण जानकारी आदि को कम्प्यूटरीकृत करना है।

1.3.0 परियोजना का क्रियान्वयन :

1.3.1 करिश्मा परियोजना का प्रारम्भ 9 दिसम्बर,2005 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। इसी दिवस पर तत्कालीन माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा चूरू जिले की सालासर ग्राम पंचायत की सरपंच से वीड़ियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बातचीत की गई। ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रथम स्तर पर पहले दिन 8 स्थानों पर किया गया। इसके पश्चात् ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सहायतान्तर्गत उपलब्ध 26.38 करोड़ रुपये, बारहवें वित्त आयोग द्वारा सहायतान्तर्गत 18.45 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत 2.00 करोड़ रुपये

तथा पंचायत एम्प्लयामेन्ट इन्सेन्टिव स्कीम (PEIS) अन्तर्गत 0.70 करोड़ रुपये, कुल 47.53 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गयी, उस राशि में से राज्य की सभी 32 जिला परिषदों, 237पंचायत समितियों तथा 1114 ग्राम पंचायतों को परियोजनान्तर्गत आपस में जोड़ते हुये शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के सर्वर से जोड़ा गया है। द्वितीय चरण में शेष रही 8071 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना है। आलौच्य वर्ष (2005 से 2008–09 तक) कुल रुपये 47.53 करोड़ के विरूद्ध 44.44 (93.50 प्रतिशत) करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

1.3.2 करिश्मा परियोजना के महत्वपूर्ण कार्य नेटवर्किंग के साथ जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की उपलब्धता, सॉफ्टवेयर तैयार करना, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ रखरखाव की जानकारी देना है।

1.3.3 परियोजना अन्तर्गत पंचायत संस्थाओं के कर्मचारियों को जन्म–मृत्यु पंजीकरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट, ग्रामीण विकास योजनाओं एवं लेखा आदि का कार्य सॉफ्टवेयर की मदद से किये जाने हेतु आई.टी.आई. लिमिटेड़, नई–दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) से प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर के फार्म को खोलने तथा उसमें जानकारी भरने का कार्य भी सिखाया गया।

1.3.4 परियोजना के संचालन से पंचायती राज विभाग के बेवसाईट के साथ पंचायती राज संस्थाओं के समस्त रिकार्ड के विशेष सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर प्रिन्टर, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी संस्थाओं में परस्पर सम्पर्क तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

1.3.5 परियोजना के क्रियान्वयन से बेवसाईट पर हमेशा वांछित फार्म एवं आवेदन पत्र उपलब्ध रहते हैं। सूचना के अधिकार के तहत आय, व्यय व निर्माण आदि कार्यों का ब्यौरा, ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण उपलब्ध रहता है। विभागीय न्यायिक प्रकरण तथा कर्मचारियों के वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की जानकारी रहती है। जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र जारी करने में सुविधा, पंचायत राज संस्थाओं के लेखे, वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन में तथा कम्प्यूटर से सूचना का आदान–प्रदान होने के फलस्वरूप डाक, यात्रा व मंहगाई भत्ता के व्यय से बचा जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक विकास कार्यों का प्रबोधन किया जा सकता है।

1.4.0 परियोजना की प्रगति :

1.4.1 राज्य में करिश्मा परियोजना 9 दिसम्बर,2005 को प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत राज्य के समस्त 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समितियों और 1114 ग्राम पंचायतों को आपस में कम्प्यूटर नेटवर्किंग से जोड़ते हुये ग्रामीण पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के सर्वर रूम से जोड़ा गया। ग्रामीण पंचायत राज विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर परियोजना की गत चार वर्षों की वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार रही है :–

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आवंटन राशि	व्यय राशि
2005–06		10.66
2006–07		15.25
2007–08		11.68
2008–09		06.85
योग	**47.53**	**44.44**

1.5.0 परियोजना की तकनीकी ऑडिट :

1.5.1 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता वाली सर्वाधिकार प्राप्त समिति की महत्वपूर्ण शर्त कि प्रोजेक्ट की निष्पक्ष तृतीय पक्ष तकनीकी ऑडिट करवायी जावें, के क्रम में विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.), सीतापुरा, जयपुर से तकनीकी ऑडिट करायी, तकनीकी ऑडिट पूर्ण कर ली गई है, रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है, उसके कुछ बिन्दुओं पर एस.टी.पी.आई. की टिप्पण प्राप्त होना शेष है।

1.6.0 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.6.1 शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस परियोजना का मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा सम्पादित किया गया।

1.7.0 मूल्यांकन के उद्देश्य :

1.7.1 करिश्मा परियोजना के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) परियोजना की उपयोगिता का विश्लेषण करना,
(iii) परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की समीक्षा करना,
(iv) ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, एवं
(v) योजना क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात करके सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

1.8.0 **न्यादर्श परिकल्पना :**

1.8.1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा करिश्मा परियोजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी गयी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं के अनुसार वर्तमान में उक्त योजना राज्य के 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों एवं 1114 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। मूल्यांकन हेतु समय व संसाधनों को ध्यान में रखते हुये अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर न्यादर्श का चयन निम्न प्रकार से किया गया है :–

(क) प्रथम स्तर पर परियोजना के प्रथम चरण में (2005–06 से 2008–09 तक) योजना से जुड़ी हुई कुल पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को इकजाई संख्या/प्रगति को संभागवार घटते हुये क्रम में जमाया जाकर सर्वाधिक जुड़ी हुई संस्थाओं की संख्या वाले 50 प्रतिशत संभागों का चयन किया गया जिसे **परिशिष्ट–I** पर दर्शाया गया है। इस प्रकार चार संभाग यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग का चयन मूल्यांकन हेतु किया गया।

(ख) द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित संभाग के संदर्भित चरण में परियोजना से सर्वाधिक जुड़ी हुई कुल संस्थाओं की जिलेवार सर्वाधिक संख्या के आधार पर प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले का चयन किया गया जिनमें अलवर, जोधपुर, नागौर व उदयपुर जिले का चयन किया गया है।

(ग) तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले में उन दो पंचायत समिति का चयन किया गया जहाँ सर्वाधिक ग्राम पंचायत इस परियोजना से जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्रत्येक जिले से दो पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(घ) चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धति से किया गया जो इस परियोजना से जुड़ी हुई है।

(च) पंचम् स्तर पर चयनित पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत पर गत चार वर्षों से परियोजना से लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सूची में से 10–10 लाभान्वितों का चयन किया जाना सुनिश्चित किया गया।

1.9.0 **सैम्पल साईज :**

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	पंचायत समिति		ग्राम पंचायत		कुल चयन हेतु प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या
		चयनित पंचायत समिति संख्या	चयन हेतु प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	चयन हेतु प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या	
1.	अलवर	2	20	4	40	60
2.	जोधपुर	2	20	4	40	60
3.	नागौर	2	20	4	40	60
4.	उदयपुर	2	20	4	40	60
	योग	**8**	**80***	**16**	**160**	**240**

*= *जिन कस्बों में पंचायत समिति मुख्यालय स्थित हो उसी कस्बे के लाभार्थियों का चयन कर लाभार्थी अनुसूची भरी जानी थी।*

1.9.1 अतः इस प्रकार कुल चार चयनित जिला परिषदों की 8 पंचायत समितियों एवं 16 ग्राम पंचायतों के कुल 240 लाभान्वितों से अनुसूची भरे जाने का प्रावधान रखा गया, परन्तु क्षेत्र कार्य के दौरान लाभान्वितों के उपलब्ध नहीं होने से लाभार्थियों से अनुसूचियाँ नहीं भरी जा सकी।

1.10.0 **मूल्यांकन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :**

1.10.1 अध्ययन के क्षेत्र कार्य हेतु निम्न प्रकार की अनुसूचियाँ प्रयुक्त कर सूचनाऐं एकत्रित किये जाने का प्रावधान रखा गया :–

(1) **प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर परियोजना की वित्तीय व भौतिक प्रगति सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(2) **चयनित जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत से परियोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों एवं वर्षवार व कार्यवार लाभान्वितों की संख्या तथा नेटवर्किंग से जुड़े हुये क्रियाकलापों की सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(3) **लाभार्थी अनुसूची :**

इस अनुसूची में परियोजना से लाभान्वित (पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर) व्यक्तियों से भरे जाने का प्रावधान रखा गया। इस अनुसूची में लाभ प्राप्तकर्त्ताओं से साक्षात्कार एवं विचार–विमर्श कर कम्प्यूटर नेटवर्किंग से प्राप्त लाभ, योजना की उपयोगिता एवं आवश्यकता तथा सफलता/असफलता के बारे में विचार प्राप्त कर अंकित किये जाने तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों एवं उनको दूर करने हेतु सुझाव प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा गया।

(4) **सरकारी/गैर–सरकारी अनुसूची :**

यह अनुसूची परियोजना से सम्बन्धित सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों जिसमें जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रधान्, खण्ड़ विकास अधिकारी, पंच, सरपंच, ग्राम सचिव, कम्प्यूटर आपरेटर तथा अन्य जानकारी रखने वाले अधिकारियों से विचार–विमर्श कर योजना की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार कर अनुसूची भरी गयी। इस अनुसूची में परियोजना की जानकारी, उपयोगिता, आवश्यकता तथा क्रियान्वयन/संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं सुझावों को सम्मिलित किया गया।

(5) **अवलोकन टिप्पण :**

क्षेत्रीय कार्य के दौरान अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्किंग क्रियाकलापों का अवलोकन किया गया जिसके अन्तर्गत नेटवर्किंग से जुड़े हुये व्यक्तियों के विचार, नेटवर्किंग की उपयोगिता, आवश्यकता, प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रिन्टर, फर्नीचर व रिकार्ड के रखरखाव तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों, सुझावों एवं उद्देश्यों के अनुरूप पृथक–पृथक तथ्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया।

1.11.0 **संदर्भ अवधि :**

1.11.1 मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित प्रलेख सूचनाऐं वर्ष 2005–06 से 2009 (मार्च माह) तक की एकत्रित की गयी तथा सम्बन्धित अन्य अनुसूचियों में विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथी फरवरी,2009 के अंकित किये गये।

————

अध्याय – द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा अध्ययन हेतु चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करिश्मा परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण इस अध्ययन में किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

2.1.0 राज्य स्तरीय प्रगति :

2.1.1 परियोजनान्तर्गत राज्य की समस्त 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समिति एवं 1114 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्किंग से जोड़ते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के सर्वर से जोड़ा गया। परियोजना में सम्मिलित संभागवार जिला परिषदों के पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

2.1.2 परियोजनान्तर्गत राज्य स्तर पर संभागवार समावेशित संस्थाओं की भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

क्र. सं.	संभाग	जिला परिषद (संख्या)	पंचायत समिति (संख्या)	ग्राम पंचायत (संख्या)
1.	जयपुर	5	48	231
2.	जोधपुर	6	42	213
3.	उदयपुर	5	45	184
4.	अजमेर	4	36	183
5.	बीकानेर	4	21	109
6.	भरतपुर	4	23	99
7.	कोटा	4	22	95
	योग	**32**	**237**	**1114**

2.2.0 करिश्मा परियोजना से अभिप्राय :

2.2.1 करिश्मा परियोजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है। करिश्मा का अर्थ ''कम्प्यूटराईजेशन ऑटोमेशन रिफाइनमेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एकाउन्ट्स'' है, जिसके द्वारा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर फार्म व आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आय–व्यय व निर्माण आदि कार्यों का ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, लेखा, वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन, सूचना का आदान–प्रदान, ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, विभिन्न विभागीय मामलों की सुनवाई आदि की जानकारी, वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की सम्पूर्ण जानकारी आदि को कम्प्यूटरीकृत करना है।

2.3.0 **परियोजना की भौतिक स्थिति :**

2.3.1 करिश्मा परियोजना द्वारा पंचायती राज संस्थाओं जिनमें 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समितियाँ और 9184 ग्राम पंचायतें है। प्रथम चरण में सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के साथ–साथ 1114 ग्राम पंचायतों को परियोजनान्तर्गत आपस में जोड़ते हुए शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के सर्वर से जोड़ा गया।

2.3.2 द्वितीय चरण से शेष रही 8070 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित था, जो वर्तमान (सितम्बर,2009) तक नहीं जोड़ी गयी है।

2.4.0 **वित्तीय प्रगति की समीक्षा :**

2.4.1 राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक परियोजना के संचालन हेतु उपलब्ध करवायी गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध सहायता राशि	:	26.38 करोड़ रुपये
(2)	बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि	:	18.45 करोड़ रुपये
(3)	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	:	02.00 करोड़ रुपये
(4)	पी.ई.आई.एस.योजना	:	00.70 करोड़ रुपये
	कुल योग	:	47.53 करोड़ रुपये

2.4.2 करिश्मा परियोजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को कुल 47.53 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि में से वर्ष 2008–09 तक विभाग द्वारा 44.44 करोड़ (93.50 प्रतिशत) व्यय किया गया है।

2.4.3 विभाग द्वारा व्यय राशि के मद्देनजर राज्य की कुल 9184 ग्राम पंचायतों में से 1114 (12.13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतें तीन वर्ष की अवधि में परियोजना अन्तर्गत जोड़ी जाना संभव हुआ है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य मदों से आवश्यक राशि उपलब्ध कराने हेतु पंचायत राज विभाग प्रयासरत है, राशि प्राप्त होने पर शेष 8070 ग्राम पंचायतों को परियोजनान्तर्गत समावेषित किया जाना संभव होगा।

2.4.4 जिलेवार राशि का आवंटन एवं व्यय की सूचना भी विभाग स्तर से उपलब्ध नहीं हो पाने से जिलेवार राशि आवंटन एवं व्यय तथा सर्वर हेतु पृथक राशि का विवरण प्राप्त नहीं होने से पृथक–पृथक विस्तृत विश्लेषण किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

2.5.0 **कार्यकारी एजेन्सी :**

2.5.1 करिश्मा परियोजनान्तर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को मुख्यालय सर्वर से जोड़ने का आदेश आई.टी.आई. लि., नई–दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को दिनांक 30–11–05 को दिये गये। फर्म द्वारा कार्य का प्रारम्भ 01–12–05 से किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार माह जून,2009 तक समस्त कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं तथा कार्य लगभग पूर्णता पर है, विभाग द्वारा भी अभी कार्य जारी होना बताया गया।

2.6.0 **कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण :**

2.6.1 कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर के संचालन हेतु विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाया गया है तथा कम्प्यूटर के माध्यम से कार्य सम्पादन हेतु कम्प्यूटर के सामान्य संचालन/परिचालन में चालू वर्ष की प्रविष्टियों का इन्द्राज करना, कम्प्यूटरों पर ई–मेल द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान करने की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

कार्यकारी संभागों में विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण संबंधी विवरण (वर्ष 2005–06 से मार्च 2008–09 तक)

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	वर्ष								योग
		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		
		पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षणार्थी
1	अजमेर	निल	निल	21	221	25	210	10	17	448
2	भरतपुर	निल	निल	7	70	12	103	–	–	173
3	कोटा	निल	निल	1	17	24	178	11	18	213
4	बीकानेर	निल	निल	7	84	15	146	9	15	245
5	उदयपुर	निल	निल	–	–	52	442	36	68	510
6	जोधपुर	निल	निल	–	–	44	358	32	63	421
7	जयपुर	निल	निल	20	137	40	340	21	30	507
	योग :	**निल**	**निल**	**56**	**529**	**212**	**1777**	**119**	**211**	**2517**

2.6.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 में प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने की प्रारम्भिक अवस्था थी। अतः सम्भागों में किसी भी पंचायत समिति में विभाग द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक कुल 387 पंचायत समितियों में 2517 कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2006–07 में कुल पं.सं. में से 56 (14.47 प्रतिशत) के, 529 (21.02 प्रतिशत), 2007–08 में पं.स. 212 (54.78 प्रतिशत) के, 1777 (70.60 प्रतिशत), 2008–09 में पं.स. 119 (30.75 प्रतिशत) के 211 (8.38 प्रतिशत) कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में विभाग द्वारा अधिक संख्या में पंचायत समिति के कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2008–09 में पंचायत समितियों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण के बारे में चयनित संस्थाओं के विचार जानने पर सूचित हुआ कि प्रशिक्षण अल्प अवधि एवं अपर्याप्त था। अतः विभाग द्वारा प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

2.6.3 चयनित जिलों की पं.स. में विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण संबंधी विवरण (वर्ष 2005–06 से मार्च 2009 तक)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति संख्या	वर्ष					
			2005–06		2006–07		2007–08	
			पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी	पं.स. की संख्या	प्रशिक्षणार्थी
1	अलवर	14	–	–	2	15	2	27
2	जोधपुर	9	–	–	–	–	3	36
3	नागौर	11	–	–	1	19	1	11
4	उदयपुर	11	–	–	–	–	3	30
	योग :	**45**	**–**	**–**	**3**	**34**	**9**	**104**

2.6.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित जिलों की 45 पंचायत समितियों में विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 एवं 2008–09 में किसी भी पंचायत समिति में प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वर्ष 2006–07 में कुल 45 पंचायत समितियों में से अलवर एवं नागौर की 3 (6.67 प्रतिशत) पंचायत समितियों के कुल 34 कार्यकारियों को एवं वर्ष 2007–08 में 9 (20.00 प्रतिशत) पंचायत समिति के 104 कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार पंचायत समितियों में दिया गया का प्रतिशत 20 प्रतिशत से भी कम रहा। अतः प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार किया जावे ताकि प्रोजेक्ट के वांछित परिणाम प्राप्त हो सके।

2.7.0 **हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की उपलब्धता :**

2.7.1 विभाग द्वारा सभी पंचायत राज संस्थाओं में क्रमशः 32 जिला परिषद्, 237 पंचायत समिति एवं 1114 ग्राम पंचायतों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाये गये है।

2.8.0 **नेटवर्क, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की शिकायतों की निवारण व्यवस्था :**

2.8.1 विभाग द्वारा नेटवर्क, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु राज्य भर में क्रियान्वयन एजेन्सी ने 8 जिलों में सपोर्ट ऑफिस खोल रखे हैं जो क्रमशः गंगानगर, झुन्झुनू, जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर उदयपुर एवं भीलवाड़ा में है। सभी सपोर्ट ऑफिस में कार्य करने एवं कार्य सम्पादित करने में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रत्येक ऑफिस में एक नेटवर्किंग कर्मचारी, एक टैक्नीशियन एवं एक हार्डवेयर को लगाया गया है।

2.8.2 कम्प्यूटराईजेशन की कार्य पद्धति में आने वाली कठिनाइयों का सम्बन्धित संस्था द्वारा शिकायत करने पर निवारण करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है ताकि सिस्टम सुचारू रूप से कार्यशील रह सके। सपोर्ट ऑफिस में आने वाली कठिनाईयों का निवारण किया गया। जिसका वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	सपोर्ट ऑफिस	वर्षवार कठिनाईयों की संख्या/निवारण संख्या			
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (सितम्बर तक)
1	जयपुर	–	58	118	27
2	झुन्झुनुं	–	47	99	54
3	गंगानगर	–	8	21	29
4	जोधपुर	–	32	43	18
5	भीलवाड़ा	–	17	35	23
6	कोटा	–	6	32	32
7	भरतपुर	–	11	29	21
8	उदयपुर	–	6	18	17
	योग :	**–**	**185**	**395**	**221**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में कार्य आरम्भ किये जाने के कारण शिकायतें प्राप्त नहीं होने से कोई कठिनाई नहीं पाई गई। वर्ष 2006–07 में कुल 185 शिकायतें, वर्ष 2007–08 में 395 शिकायतें एवं वर्ष 2008–09 में 221 शिकायतें प्राप्त हुई। जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा समस्त शिकायतों का निवारण किया जाना बतलाया गया। अध्ययन हेतु चयनित संस्थाओं से सपोर्ट ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी से अनभिज्ञ होना सूचित किया गया। अतः प्राथमिक इकाई तक इस व्यवस्था की जानकारी प्रसारित की जावे।

2.9.0 योजना की मोनिटरिंग व्यवस्था :

2.9.1 योजना की समीक्षा, मोनेटरिंग एवं निरीक्षण का जिम्मा जिला/पंचायत समिति स्तर से किया जाना बताया है तथा तकनीकी समस्याओं के निराकरण एवं नियन्त्रण हेतु विभाग के 5 अधिकारियों को नेटवर्क रूट का प्रभारी बनाया है, जो निम्नानुसार है :–

(1)	उप शासन सचिव (प्र.शा.I)	:	South Root
(2)	उप शासन सचिव (प्र.शा.II)	:	East Root
(3)	मुख्य लेखाधिकारी	:	North Root
(4)	उपायुक्त (प्रशिक्षण)	:	South-East Root
(5)	उपायुक्त (जाँच)	:	West Root

2.9.2 इन प्रभारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2008–09 में निम्नानुसार कार्य किया :–

क्र. सं.	स्तर	बैठकें आयोजित की गई (संख्या)	निरीक्षण किया गया (संख्या)	कार्य की स्थिति		
				वांछित परिणाम प्राप्त हुए (हाँ/नहीं)	असन्तोषजनक	परियोजना के प्रभाव एवं संचालन के प्रयास
	N.A.	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**

N.A.=विभाग से सूचना उपलब्ध नहीं हुई।

2.10.0 **जिला स्तरीय प्रगति :**

2.10.1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा संचालित करिश्मा परियोजनान्तर्गत चार संभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभागों का चयन कर अध्ययन किया जाना विभाग की राय से तय किया गया। चयनित चार संभागों में से अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं नागौर जिलों को चयनित किया गया। प्रत्येक जिले से 2 चयनित पंचायत समिति एवं 4 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम
1.	अलवर	1. लक्ष्मणगढ़ 2. थानागाजी	1.भोजपुर 2.लक्ष्मणगढ़ 1.सालेटा 2.गढ़बसई
2.	जोधपुर	1. औसियां 2. बाप	1.औसियां 2.मथानिया 1.शैरवास 2.कानासर
3.	नागौर	1. डीडवाना 2. डेगाना	1.मोलासर 2.दौलतपुरा 1.हरसौर 2.ईडवा
4.	उदयपुर	1. खेरवाड़ा 2. गिर्वा	1.बाबलपाड़ा 2.कल्याणपुर 1.बिछड़ी 2.देबारी
योग	**4**	**8**	**16**

2.10.2 इस प्रकार कुल 4 जिलों की 8 पंचायत समिति एवं 16 ग्राम पंचायतों का चयन क्षेत्र कार्य हेतु किया गया। इन चयनित संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत प्रसारित लाभों के 10–10 लाभार्थियों का चयन किया जाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार 240 लाभार्थी चयन होने प्रस्तावित थे।

2.11.0 **योजना प्रारम्भ होने का वर्ष :**

2.11.1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार योजना का जिलों में दिसम्बर,2005 से कार्य प्रारम्भ किया गया। इस संदर्भ में चयनित जिला परिषद् की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	योजना प्रारम्भ व पूर्ण होने का वर्ष	
		2005	2008
1.	अलवर	1	–
2.	जोधपुर	1	–
3.	नागौर	1	–
4.	उदयपुर	–	1
	योग	**3**	**1**

2.11.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अलवर, जोधपुर एवं नागौर जिले में योजना का कार्य वर्ष 2005 में प्रारम्भ किया गया था जो कुल चयनित जिलों में से 3 जिलों में संदर्भ वर्ष में ही कार्य पूर्ण हो गया। जिला उदयपुर में योजना प्रारम्भ होने के वर्ष से तीन वर्ष बाद कार्य प्रारम्भ व पूर्ण किया गया।

2.11.3 चयनित जिलों की पंचायत समितियों में योजना प्रारम्भ किये जाने की जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	चयनित पंचायत समिति की संख्या	योजना प्रारम्भ व पूर्ण होने का वर्ष		
			2005	2006	2008
1.	अलवर	2	2	–	–
2.	जोधपुर	2	–	2	–
3.	नागौर	2	2	–	–
4.	उदयपुर	2	–	–	2
	योग	**8**	**4**	**2**	**2**

2.11.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 4 जिला परिषद् की 8 पंचायत समितियों में से अलवर एवं नागौर जिले की 4 (50 प्रतिशत) पंचायत समितियों में वर्ष 2005 में, जोधपुर की 2 (25 प्रतिशत) पंचायत समितियों में 2006 एवं उदयपुर की 2 (25 प्रतिशत) में वर्ष 2008 में कार्य प्रारम्भ किया गया। जोधपुर जिले की उक्त दो पंचायत समितियों में कार्य वर्ष 2006 में प्रारम्भ व पूर्ण हुआ तथा जिला उदयपुर में वर्ष 2008 में कार्य प्रारम्भ व पूर्ण किया गया।

2.11.5 परियोजनान्तर्गत चयनित जिला परिषद की ग्राम पंचायतों में परियोजना के प्रारम्भ होने का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	चयनित ग्राम पंचायत की संख्या	योजना प्रारम्भ होने का वर्ष				
			2005	2006	2007	2008	N.R.
1.	अलवर	4	1	2	1	–	–
2.	जोधपुर	4	–	4	–	–	–
3.	नागौर	4	–	2	2	–	–
4.	उदयपुर	4	–	–	–	2	2
	योग	**16**	**1**	**8**	**3**	**2**	**2**

2.11.6 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित जिला परिषद् की 16 ग्राम पंचायतों में योजना प्रारम्भ होने की जानकारी प्राप्त की गई जिसके अनुसार वर्ष 2005 में 1 (6.25 प्रतिशत), 2006 में 8 (50.00 प्रतिशत), 2007 में 3 (18.75 प्रतिशत) एवं वर्ष 2008 में 2 (12.50 प्रतिशत) में कार्य प्रारम्भ किया गया। उदयपुर जिले की 2 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ होने की जानकारी नहीं होना पाया गया।

2.11.7 जिला परिषद में ग्राम पंचायत स्तर के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया कि जिला उदयपुर में वर्ष 2008 में कार्य प्रारम्भ किया गया एवं इसी वर्ष में पूर्ण किया गया। चयनित अन्य जिलों में तीनों स्तरों पर एक ही वर्ष में कार्य प्रारम्भ व पूर्ण की स्थिति नहीं पायी गयी। इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि करिश्मा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जैसे–जैसे राशि प्राप्त हुई कार्य प्रारम्भ/पूर्ण किया जाता रहा जिससे योजना के प्रभाव वांछित स्तर तक प्राप्त होने में विलम्ब रहा है।

2.12.0 योजना संचालन से सम्बन्धित क्रियान्वयन एजेन्सी :

2.12.1 चयनित शत–प्रतिशत पंचायत राज संस्थानों में क्रियान्वित किया गया जैसाकि चयनित 28 में से शत–प्रतिशत ने पंचायती राज विभाग/आई.टी.आई.,नई–दिल्ली द्वारा योजना को क्रियान्वित किया जाना बतलाया।

2.13.0 कम्प्यूटर कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित विवरण :

2.13.1 चयनित जिलों में कम्प्यूटर स्थापन कार्य पूर्ण होने एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला परिषद	कम्प्यूटर स्थापन कार्य		पूर्ण होने की अवधि
		पूर्ण	अपूर्ण	वर्ष
1.	अलवर	1	–	तीन वर्ष
2.	जोधपुर	1	–	एक वर्ष
3.	नागौर	1	–	तीन वर्ष
4.	उदयपुर	1	–	एक वर्ष
	योग	**4**	**–**	

2.13.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित 4 जिलों में से शत–प्रतिशत में कार्य पूर्ण हो गया। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि जिन जिलों में कार्य पूर्ण हो गया है उनमें से 2 में एक वर्ष में एवं 2 में तीन वर्ष में कार्य पूर्ण होना बतलाया। अतः ज्ञात होता है कि 1 माह से 36 माह तक कार्य पूर्ण करना एवं कार्य प्रारम्भ करने में प्रोजेक्ट को समय पर पूर्ण करने में तत्परता नहीं बरतना पाया गया।

2.14.0 कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी विवरण :

2.14.1 ग्रामीण संस्थाओं में कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी विवरण की जानकारी प्राप्त की गई जिसकों निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	जिला परिषद् संख्या	कुल पंचायत समिति संख्या एवं कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई पंचायत समिति संख्या	कुल ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत का प्रतिशत
1.	अलवर	1	14	478	65	13.60
2.	जोधपुर	1	9	339	42	12.39
3.	नागौर	1	11	461	64	13.88
4.	उदयपुर	1	11	496	55	11.09
	योग	**4**	**45**	**1774**	**226**	**12.74**

2.14.2 तालिका के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में कुल 45 पंचायत समितियों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना था, जिनमें से शत–प्रतिशत पंचायत समितियों को नेटवर्क से जोड़ा गया।

2.14.3 चयनित जिलों में कुल 1774 ग्राम पंचायतों में से 226 (12.74 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोड़ा गया।

2.14.4 कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी चयनित जिलों की चयनित पंचायत समिति का विवरण प्राप्त किया गया जिसको निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित पंचायत समिति संख्या एवं कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई पंचायत समिति संख्या	कुल ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत का प्रतिशत
1.	अलवर	2	79	15	18.99
2.	जोधपुर	2	99	19	19.19
3.	नागौर	2	100	18	18.00
4.	उदयपुर	2	110	7	6.36
	योग	**8**	**388**	**59**	**15.21**

2.14.5 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि चयनित 8 पंचायत समितियों में से शत–प्रतिशत पंचायत समितियों को नेटवर्क से जोड़ा गया। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी ग्राम पंचायतों में नेटवर्क से जोड़ने की प्रगति 19.19 से 6.36 प्रतिशत पायी गयी। कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई 8 पंचायत समिति के कुल 388 ग्राम पंचायतों में से 59 (15.21 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना पाया गया। सभी ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से नहीं जोड़ने की स्थिति में करिश्मा के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर समग्र सूचना उपलब्ध होना संभव नहीं हो सका है। अतः वांछित उपलब्धि की दृष्टि से करिश्मा में वांछित परिणाम प्राप्त करना अब भी दूर की कोड़ी नजर आता है। यह तो योजना के प्रारम्भ की स्थिति ही दृष्टिगोचर होती है।

2.14.6 कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने से सम्बन्धित चयनित ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत संख्या		कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का प्रतिशत
			हाँ	नहीं	
1.	अलवर	4	4	–	100.00
2.	जोधपुर	4	–	4	00.00
3.	नागौर	4	4	–	100.00
4.	उदयपुर	4	2	2	50.00
	योग	**16**	**10**	**6**	**62.50**

2.14.7 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 16 ग्राम पंचायतों में से 10 (62.5 प्रतिशत) को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया। उदयपुर जिले की 2 (50 प्रतिशत) ग्राम पंचायत को नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया। अलवर एवं नागौर की चयनित ग्राम पंचायत को शत–प्रतिशत कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाना बताया गया। इस प्रकार कुल 16 ग्राम पंचायतों में से 10 (62.5 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया, शेष 6 को कनेक्टीविटी नहीं होने से नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका। इससे ज्ञात होता है कि संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये उपकरणों का शत–प्रतिशत उपयोग सम्भव नहीं हो सका है।

2.15.0 पॉवर उपलब्धता की स्थिति :

2.15.1 कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने पर उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पॉवर उपलब्धता की स्थिति का आकलन किया गया। चयनित जिलों में पॉवर उपलब्धता की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	नेटवर्क से जुड़ी कुल संस्थाऐं	नियमित बिजली सप्लाई संख्या	अनियमित बिजली सप्लाई संख्या	बिजली को नियमित करने की व्यवस्था		
					इनवर्टर	यू.पी.एस.	बैटरी
1.	अलवर	1	–	1	1	1	–
2.	नागौर	1	–	1	1	1	1
3.	जोधपुर	1	–	1	1	1	1
4.	उदयपुर	1	–	1	–	1	–
	योग	**4**	**–**	**4**	**3**	**4**	**2**

2.15.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित शत–प्रतिशत जिला परिषद को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया अर्थात् चयनित जिलों में कम्प्यूटर नेटवर्क से सम्बन्धित संसाधन उपलब्ध करवाये गये। चयनित जिलों में नियमित बिजली की सप्लाई सभी जिलों द्वारा नहीं होना पाया गया। चयनित जिलों में अनियमित बिजली की सप्लाई पाई गई। जिन जिलों में बिजली अनियमित पाई गई उनमें कम्प्यूटर को चालू किये जाने हेतु 3 जिलों में इनवर्टर, समस्त जिलों में यू.पी.एस. व 2 जिलों में बैटरी की व्यवस्था की गई तथा चयनित जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

2.15.3 चयनित जिला परिषद की चयनित पंचायत समितियों से पॉवर की उपलब्धता की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित पंचायत समिति	नेटवर्क से जुड़ी कुल संस्थाऐं	नियमित बिजली सप्लाई संख्या	अनियमित बिजली सप्लाई संख्या	बिजली को नियमित करने की व्यवस्था		
						इनवर्टर	यू.पी.एस.	कम्प्यूटर बन्द पड़ा है
1.	अलवर	2	2	–	2	–	1	1
2.	नागौर	2	2	1	1	–	1	–
3.	जोधपुर	2	2	1	1	1	–	–
4.	उदयपुर	2	2	1	1	–	–	1
	योग	**8**	**8**	**3**	**5**	**1**	**2**	**2**

2.15.4 उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि चयनित जिलों की 8 पंचायत समिति में से बिजली की नियमित सप्लाई 3 (37.5 प्रतिशत) पंचायत समिति में पायी गई, 5 (62.5 प्रतिशत) पंचायत समिति में अनियमित बिजली सप्लाई पाई गई। बिजली की अनियमित सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने हेतु 5 पंचायत समिति में से 1 (20.00 प्रतिशत) में इनवर्टर, 2 (40.00 प्रतिशत) में यू.पी.एस. लगा हुआ तथा 2 पंचायत समिति में से अलवर की एक पंचायत समिति में बन्दर द्वारा टॉवर के तार काट दिये जाने के कारण व कम्प्यूटर खराब होने/कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर बन्द पड़ा है तथा उदयपुर की एक पंचायत समिति में कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर बन्द पड़ा है। इस प्रकार कुल चयनित 8 पंचायत समिति में से 3 (37.5 प्रतिशत) में बिजली नियमित सप्लाई व्यवस्था थी, 5 पंचायत समिति में अतिरिक्त बिजली सप्लाई होने की वजह से, 3 पंचायत समिति में वैकल्पिक व्यवस्था तथा 2 पंचायत समिति में व्यवस्था क्षतिग्रस्त होने से कम्प्यूटर अकार्यशील पाये गये। क्षतिग्रस्त व्यवस्था को सुचारू करने में प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो सके हैं।

2.15.5 चयनित ग्राम पंचायत से बिजली की नियमित सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिसकी विवरण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित ग्राम पंचायत	नेटवर्क से जुड़ी संस्थाएं		नियमित बिजली सप्लाई	अनियमित बिजली सप्लाई	बिजली को नियमित करने की व्यवस्था				
			हाँ	नहीं			बैटरी	यूपीएस	इनवर्टर	कनेक्टीविटी नहीं है	कार्य चालू नहीं हुआ/ सिस्टम बन्द
1.	अलवर	4	4	–	–	4	–	4	–	4	–
2.	नागौर	4	4	–	–	4	–	4	–	–	–
3.	जोधपुर	4	–	4	–	4	–	4	4	–	4
4.	उदयपुर	4	2	2	–	2	1	5	1	–	2
	योग	**16**	**10**	**6**	**–**	**14**	**1**	**14**	**5**	**4**	**6**

2.15.6 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अलवर जिले की शत–प्रतिशत ग्राम पंचायत में बिजली की अनियमित सप्लाई एवं कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर कार्यरत नहीं है। जोधपुर जिले के शत–प्रतिशत ग्राम पंचायत में नेटवर्क से जुड़ी नहीं होने से कम्प्यूटर बन्द पड़े है। उदयपुर जिले की 2 ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर चालू है तथा बिजली की अनियमित सप्लाई होने के कारण अन्य व्यवस्था है, 2 ग्राम पंचायत नेटवर्क से जुड़ी नहीं होने के कारण एवं इन दोनों ग्राम पंचायतों के सिस्टम बन्द होने से कम्प्यूटर कार्यरत नहीं होना पाया गया।

2.15.7 इस प्रकार कुल 16 ग्राम पंचायत में से 14 (87.5 प्रतिशत) में बिजली की अनियमित बिजली सप्लाई व्यवस्था होने के कारण कम्प्यूटर कार्य बाधित होता है। बिजली की नियमित सप्लाई हेतु 1 जिले में बैटरी, 14 में यू.पी.एस., 5 में इनवर्टर, 1 में बिजली के नये कनेक्शन करवाये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायतों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है परन्तु 4 में कनेक्टीविटी नहीं होना जिससे कार्य चालू नहीं होना व 2 स्थान पर कम्प्यूटर बन्द रहने से सिस्टम बन्द पाये गये। इस प्रकार 10 (62.5 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बिजली से प्रभावित हो रही है जिससे कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। करिश्मा प्रोजेक्ट किसी न किसी उपरोक्त कारणों से सुचारू रूप से पूर्णतः कार्यशील नहीं पाया गया।

2.16.0 उपकरणों की उपलब्धता :

2.16.1 चयनित जिला परिषद में उपलब्ध करवाये गये संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं	उपकरणों का विवरण						साफ्टवेयर कार्यशील
			हार्डवेयर	साफ्टवेयर	यूपीएस	इनवर्टर	प्रिन्टर	फर्नीचर	
1.	अलवर	1	1	1	1	1	1	1	—
2.	नागौर	1	1	1	1	1	1	—	—
3.	जोधपुर	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	उदयपुर	1	1	1	1	—	1	—	1
	योग	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**2**	**2**

2.16.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित जिला परिषद् की समस्त संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा हार्डवेयर, साफ्टवेयर, यू.पी.एस. एवं प्रिन्टर उपलब्ध करवाये गये। उदयपुर जिले के कार्यालय में समुचित बिजली की व्यवस्था होने के कारण इनवर्टर की आवश्यकता नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाया गया एवं अलवर तथा जोधपुर में आवश्यक फर्नीचर उपकरण भी उपलब्ध करवाये गये। इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता सभी चयनित जिला परिषदों में शत–प्रतिशत रही। साफ्टवेयर की कार्यशीलता 2 (50 प्रतिशत) जिलों में ही बतायी गई है। अलवर व नागौर में जयपुर से कनेक्टीविटी नहीं होने से कार्यशील नहीं होना बताया।

2.16.3 चयनित पंचायत समिति में उपकरणों की उपलब्धता को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित पंचायत समिति में कुल कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं	उपकरणों का विवरण						साफ्टवेयर कार्यशील
			हार्डवेयर	साफ्टवेयर	यूपीएस	इनवर्टर	प्रिन्टर	फर्नीचर	
1.	अलवर	2	—	2	2	—	—	2	—
2.	नागौर	2	—	1	1	—	—	—	2
3.	जोधपुर	2	2	2	2	1	2	2	1
4.	उदयपुर	2	2	2	—	1	—	—	1
	योग	**8**	**4**	**7**	**5**	**2**	**2**	**4**	**4**

2.16.4 संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में चयनित 8 पंचायत समितियों में से 4 (50 प्रतिशत) में हार्डवेयर, 7 (87.5 प्रतिशत) में साफ्टवेयर, 5 (62.5 प्रतिशत) में यूपीएस, 2 (25 प्रतिशत) में इनवर्टर, 2 (25 प्रतिशत) में प्रिन्टर, 4 (50 प्रतिशत) में फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना बतलाया। उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में कम्प्यूटर को लगाया गया, परन्तु कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर चालू नहीं होना पाया गया। साफ्टवेयर की कार्यशीलता के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत अकार्यशील बताये है जिसके मुख्य कारण नेटवर्क से कनेक्टीविटी नहीं होना बताया।

2.16.5 चयनित ग्राम पंचायतों में उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित ग्राम पंचायत में कुल संस्थाऐं	कुल कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं	उपकरणों का विवरण							साफ्टवेयर की कार्यशीलता
				हार्डवेयर	साफ्टवेयर	यूपीएस	इनवर्टर	प्रिन्टर	बैटरी	फर्नीचर	
1.	अलवर	4	4	4	4	4	–	4	–	4	–
2.	नागौर	4	4	4	4	4	–	4	–	–	2
3.	जोधपुर	4	4	4	4	4	4	4	–	4	–
4.	उदयपुर	4	2	2	2	2	1	2	1	–	2
	योग	**16**	**14**	**14**	**14**	**14**	**5**	**14**	**1**	**8**	**4**

2.16.6 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 16 ग्राम पंचायतों में से 14 (87.5 प्रतिशत) में हार्डवेयर, साफ्टवेयर, प्रिन्टर एवं यू.पी.एस. पाया गया। 8 (50 प्रतिशत) में नये फर्नीचर भी उपलब्ध करवाये गये, 5 (31.25 प्रतिशत) में इनवर्टर एवं 1 (6.25 प्रतिशत) में बैटरी उपलब्ध करवायी गई।

2.16.7 साफ्टवेयर की कार्यशीलता के सम्बन्ध में चयनित 16 ग्राम पंचायतों में से 4 (25 प्रतिशत) ने साफ्टवेयर के कार्यशील होना बतलाया, शेष 75 प्रतिशत ने साफ्टवेयर के कार्यशील नहीं होने के मुख्य कारण कनेक्टीविटी नहीं होना एवं बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं होना बतलाया।

2.17.0 **प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी :**

2.17.1 चयनित जिला परिषद से कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	प्रशिक्षण दिये जाने वाली संस्थाओं की संख्या	प्रशिक्षण सन्तोषजनक रहा (हाँ/नहीं)	प्रशिक्षण के असन्तोषजनक रहने के कारण			
				अपर्याप्त पाठ्यक्रम	अल्पावधि	हार्डवेयर का नहीं होना	साफ्टवेयर का नहीं होना
1.	अलवर	1	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
2.	जोधपुर	–	–	–	–	–	–
3.	नागौर	1	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
4.	उदयपुर	1	हाँ	–	–	नहीं	नहीं
	योग	**3**	**हाँ–1 नहीं–2**	**हाँ–2**	**हाँ–2**	**नहीं–3**	**नहीं–3**

2.17.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चयनित जिला परिषद में जोधपुर जिले को छोड़कर शेष सभी जिला परिषद में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया जो कुल का 75.00 प्रतिशत रहा। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रशिक्षण सन्तोषजनक रहा। इस सम्बन्ध में 3 जिला परिषद में से 1 (33.33 प्रतिशत) ने सन्तोषजनक बतलाया एवं 2 (66.67 प्रतिशत) ने असन्तोषजनक बतलाया। प्रशिक्षण के असन्तोषजनक रहने का मुख्य कारण दोनों जिलों द्वारा प्रशिक्षण अपर्याप्त एवं अल्पावधि का दिया जाना बतलाया गया तथा हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रशिक्षण किसी को भी नहीं दिया जाना बतलाया गया।

2.17.3 चयनित पंचायत समिति द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं	चयनित जिला परिषद	चयनित पंचायत की कुल संस्थाऐं	प्रशिक्षण दिया गया	प्रशिक्षण सन्तोषजनक रहा	प्रशिक्षण के असन्तोषजनक रहने के कारण			
					अपर्याप्त	अल्पावधि	हार्डवेयर का नहीं होना	साफ्टवेयर का नहीं होना
1.	अलवर	2	1	–	–	1	–	–
2.	जोधपुर	2	1	–	1	–	–	–
3.	नागौर	2	2	1	1	–	–	–
4.	उदयपुर	2	2	–	–	2	–	–
	योग	**8**	**6**	**1**	**2**	**3**	**–**	**–**

2.17.4 चयनित 8 पंचायत समिति में से 6 (75 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया जाना बतलाया गया। कुल 6 में से 1 (16.67 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण सन्तोषजनक बतलाया। इस प्रकार 83.33 प्रतिशत ने दिया गया प्रशिक्षण अपर्याप्त बतलाया। प्रशिक्षण के अपर्याप्त बताये जाने के मुख्य कारण 2 (40 प्रतिशत) ने अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं 3 (60 प्रतिशत) ने अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाना बतलाया। हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रशिक्षण किसी को भी नहीं दिया जाना बतलाया गया। इस प्रकार चयनित पंचायत समितियों में प्रशिक्षण अपर्याप्त दिये जाने के कारण कम्प्यूटर के संचालन में कठिनाई व्यक्त की।

2.17.5 चयनित ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई जिसकों निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं	चयनित जिला परिषद	चयनित कुल ग्राम पंचायत संख्या	प्रशिक्षण दिये जाने वाली संस्थाओं की संख्या	प्रशिक्षण सन्तोषजनक		प्रशिक्षण के असन्तोषजनक रहने के कारण			
				हाँ	नहीं	अपर्याप्त	अल्पावधि	हार्डवेयर का नहीं होना	साफ्टवेयर का नहीं होना
1.	अलवर	4	2	–	2	–	2	–	–
2.	जोधपुर	4	–	–	–	–	–	–	–
3.	नागौर	4	3	1	2	–	2	–	–
4.	उदयपुर	4	3	–	3	–	3	–	–
	योग	**16**	**8**	**1**	**7**	**–**	**7**	**–**	**–**

2.17.6 चयनित 16 ग्राम पंचायतों में से 8 (50 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना बतलाया। प्राप्त प्रशिक्षण को 1 (12.5 प्रतिशत) ने सन्तोषजनक बतलाया, शेष 7 (87.5) प्रतिशत ने प्रशिक्षण को असन्तोषजनक बतलाया। प्रशिक्षण के असन्तोषजनक रहने का मुख्य कारण शत–प्रतिशत द्वारा अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाना बतलाया गया। हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रशिक्षण किसी को भी नहीं दिया जाना बतलाया गया। इस प्रकार अपर्याप्त प्रशिक्षण दिये जाने से कम्प्यूटर संचालन में कठिनाई बतलायी। विभाग द्वारा या आरमोल संस्था के माध्यम से प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाने से करिश्मा प्रोजेक्ट के वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे।

2.18.0 नेटवर्क की समस्याओं के निराकरण बाबत :

2.18.1 चयनित जिला परिषद् से नेटवर्क के कार्यरत रहने में आने वाली कठिनाईयाँ एवं निराकरण सम्बन्धी विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं (संख्या)	शिकायत संख्या	समाधान संख्या
1.	अलवर	1	–	–
2.	जोधपुर	1	–	–
3.	नागौर	1	1	1
4.	उदयपुर	1	1	1
	योग	**4**	**2**	**2**

2.18.2 नेटवर्क में आने वाली समस्याओं हेतु नागौर एवं उदयपुर जिले में शिकायत रही। इस हेतु नागौर एवं उदयपुर में नेटवर्क में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु पंचायती राज विभाग, जयपुर में करिश्मा सैल में कार्यरत आई.टी.आई.लि. के इन्जीनियरों द्वारा जिला परिषद् में कम्प्यूटर उपकरणों में आई खराबी को दूर किया जाता है। इस प्रकार सम्बन्धित संस्था द्वारा समय–समय पर देखरेख किया जाना बताया गया।

2.18.3 नेटवर्क में आने वाली समस्याओं हेतु चयनित पंचायत समिति में आने वाली कठिनाईयों एवं निराकरण हेतु विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	चयनित पंचायत समिति संख्या	कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं	शिकायत संख्या	समाधान संख्या	समाधान नहीं होने के कारण
1.	अलवर	2	2	1	–	रखरखाव की व्यवस्था का नहीं होना।
2.	जोधपुर	2	2	–	–	कनेक्टीविटी नहीं।
3.	नागौर	2	2	1	–	पंचायत समिति में रखरखाव का कार्य त्वरित गति से नहीं हो पा रहा है।
4.	उदयपुर	2	2	2	–	(1) बजट का अभाव (2) पृथक से आपरेटर नहीं है
	योग	**8**	**8**	**4**	**–**	

2.18.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अलवर जिले की चयनित एक पंचायत समिति में कम्प्यूटर खराब होना पाया गया जिसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा दूसरी पंचायत समिति में कम्प्यूटर ओपरेटर द्वारा रखरखाव किये जाने के कारण कोई समस्या नहीं आना बतलाया। जोधपुर जिले में कम्प्यूटर कार्य अपूर्ण बतलाया गया, कम्प्यूटर कार्य अपूर्ण होने के कारण उत्पन्न समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं बतलायी गई। नागौर जिले में 2 में से 1 पंचायत समिति में रखरखाव में आने वाली समस्या का समाधान नहीं होना पाया गया। उदयपुर जिले की दोनों पंचायत समिति द्वारा रखरखाव की व्यवस्था किये जाने हेतु बजट का अभाव एवं पृथक से आपरेटर नहीं होना बतलाया गया। इस प्रकार 3 पंचायत समिति में रखरखाव की व्यवस्था नहीं होना पाया गया तथा समाधान की व्यवस्था भी शत–प्रतिशत में नहीं किया जाना बतलाया गया।

2.18.5 चयनित ग्राम पंचायत द्वारा नेटवर्क की समस्याओं के निराकरण हेतु की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित ग्राम पंचायत संख्या	कम्प्यूटरीकृत संस्थाऐं	शिकायत संख्या	समाधान संख्या	समाधान नहीं होने के कारण
1.	अलवर	4	4	–	–	–
2.	जोधपुर	4	4	–	–	–
3.	नागौर	4	4	1	–	आई.टी.आई.लि.कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जाना।
4.	उदयपुर	4	2	2	–	बजट, लाईट की अपर्याप्त व्यवस्था
	योग	**16**	**14**	**3**	**–**	

2.18.6 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित अलवर जिले की चयनित 4 ग्राम पंचायत द्वारा कम्प्यूटर के रखरखाव में किसी प्रकार की समस्या का होना नहीं पाया गया, क्योंकि कम्प्यूटर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव के पास रखे गये हैं **उनके रखरखाव एवं देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं की होने के कारण** शत–प्रतिशत द्वारा किसी प्रकार की समस्या का होना नहीं बतलाया गया। जोधपुर जिले की चारों ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य अपूर्ण होने से रखरखाव की आवश्यकता नहीं होना बतलाया गया। नागौर जिले की 1 ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित आई.टी.आई. कम्पनी द्वारा ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं किया जाना बतलाया गया, शेष 3 ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में रखा जाना बतलाया गया जिससे कोई समस्या नहीं आना बतलाया गया। उदयपुर जिले की 2 ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर के संचालन हेतु अपर्याप्त बजट एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कम्प्यूटर संचालन में बाधा आना बतलाया गया। जोधपुर में नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं होने से व्यवस्था अप्रभावशाली पायी गयी।

2.19.0 मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था :

2.19.1 चयनित जिला परिषद् द्वारा मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	मासिक प्रगति करिश्मा द्वारा भेजी जा रही है (हाँ/नहीं)	हाँ, तो कैसे	नहीं, तो क्या व्यवस्था है
1.	अलवर	नहीं	–	हाथ से लिखकर
2.	जोधपुर	नहीं	–	हाथ से लिखकर
3.	नागौर	हाँ	आवेदन–पत्र के आधार पर सूचना भेजी जा रही है।	–
4.	उदयपुर	नहीं	–	ऑन–लाईन कनेक्टीविटी नहीं होने के कारण लाभार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था नहीं है।
	योग	**हाँ–1 नहीं–3**	**–**	**–**

2.19.2 मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने हेतु नागौर जिला परिषद् द्वारा सूचना कम्प्यूटर में फीड करने एवं आवेदन पत्र के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर भेजने की व्यवस्था किये जाने हेतु बतलाया गया, अलवर द्वारा हाथ से लिखकर सूचना भेजने हेतु बताया गया एवं उदयपुर, जोधपुर में सूचना भेजने हेतु ऑन–लाईन कनेक्टीविटी नहीं होने के कारण सूचना भेजने की कोई व्यवस्था नहीं होना बतलाया गया।

2.19.3 मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चयनित पंचायत समिति द्वारा की गई व्यवस्था को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई पंचायत समिति संख्या	मासिक प्रगति करिश्मा द्वारा भेजी जा रही है (हाँ/नहीं)	हाँ, तो कैसे	नहीं, तो क्या व्यवस्था है
1.	अलवर	2	नहीं–2	–	हाथ से लिखकर
2.	जोधपुर	2	नहीं–2	–	हाथ से लिखकर
3.	नागौर	2	नहीं–2	–	हाथ से लिखकर
4.	उदयपुर	2	नहीं–2	–	हाथ से लिखकर
	योग	**8**	**नहीं–8**	**–**	**–**

2.19.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 8 पंचायत समिति में से समस्त अर्थात् शत–प्रतिशत पंचायत समितियों में करिश्मा द्वारा मासिक प्रगति तैयार नहीं की जा रही। सभी के द्वारा सूचना हाथ से लिखकर अथवा उपलब्ध प्रपत्रों में सूचना तैयार कर भिजवायी जा रही है। इस प्रकार कम्प्यूटर द्वारा प्रगति की सूचना तैयार करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कम्प्यूटर व्यवस्था को प्रभावी कर विभाग को सूचना कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

2.19.5 चयनित ग्राम पंचायत द्वारा मुख्यालय पर सूचना भेजने की व्यवस्था को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद्	कुल ग्राम पंचाय	कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायत संख्या	मासिक प्रगति करिश्मा द्वारा भेजी जा रही है (हाँ/नहीं)	हाँ, तो कैसे	नहीं, तो क्या व्यवस्था है
1.	अलवर	4	4	नहीं–4	–	हाथ से तैयार कर
2.	जोधपुर	4	–	नहीं–4	–	कार्य शुरू नहीं हुआ
3.	नागौर	4	4	नहीं–4	–	हाथ से तैयार कर
4.	उदयपुर	4	2	नहीं–4	–	हाथ से तैयार कर
	योग	**16**	**10**	**नहीं–16**	**–**	**–**

2.19.6 चयनित शत–प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा सूचना कम्प्यूटर द्वारा तैयार नहीं की जाकर हाथ से तैयार कर ही भिजवाई जा रही है। इस प्रकार कम्प्यूटर द्वारा कार्य नहीं किये जाने का मुख्य कारण कम्प्यूटर का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं, इन्टरनेट से नहीं जुड़ना होना बताया गया है। विभाग को कम्प्यूटर द्वारा सूचना तैयार करने हेतु प्रभावी ढ़ांचा सृजित किया जाये तब ही योजना की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

2.20.0 निरीक्षण व्यवस्था :

2.20.1 चयनित जिला परिषद में निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी स्तर	निरीक्षण की संख्या	नार्मस संख्या	किये गये निरीक्षण की संख्या
1.	अलवर	–	–	–	–
2.	जोधपुर	(1) सी.ई.ओ.	N.R.	–	–
		(2) ए.सी.ई.ओ.	N.R.	–	–
3.	नागौर	(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	3	–	3
		(2) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	4	–	4
4.	उदयपुर	(1) लेखाधिकारी	N.R.	–	–
		(2) संगणक	N.R.	–	–
	योग	**6**	**7**	**–**	**7**

2.20.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अलवर को छोड़कर जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जोधपुर जिले के सी.ई.ओ. एवं ए.सी.ई.ओ. ने बताया कि जब भी पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की विजिट की जाती है, निरीक्षण कर लिया जाता है। नागौर जिले के मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वर्ष में 3–4 बार निरीक्षण किया जाना तथा उदयपुर के लेखाधिकारी एवं संगणक द्वारा माह में एक बार पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर सूचना व लेखा की मोनेटरिंग की जाती है। इस प्रकार 4 में से 3 जिला परिषदों द्वारा निरीक्षण किया जाना बतलाया गया, लेकिन निरीक्षण से योजना प्रभावी नहीं हो पायी है। यह विभिन्न स्तरों की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन से प्रदर्शित हुआ है।

2.20.3 चयनित पंचायत समिति में निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित पंचायत समिति संख्या	अधिकारी स्तर	नार्मस संख्या	किये गये निरीक्षण की संख्या
1.	अलवर	2	–	–	–
2.	जोधपुर	2	–	–	–
3.	नागौर	2	(1) विकास अधिकारी (2) विकास अधिकारी	– –	20 5
4.	उदयपुर	2	(1) जिला स्तरीय अधिकारी (2) विकास अधिकारी (3) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	– – –	1 2
	योग	**8**		**–**	

2.20.4 चयनित पंचायत समिति के अलवर एवं जोधपुर की पंचायत समितियों में किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य नहीं किया जाना बताया गया। नागौर जिले की 1 पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा 20 बार एवं दूसरी पंचायत समिति में 5 बार निरीक्षण किया गया। उदयपुर जिले के जिला स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 1–2 बार निरीक्षण किया जाना बतलाया गया। निरीक्षण के नार्मस निश्चित नहीं होने से निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया।

2.20.5 चयनित जिले की ग्राम पंचायतों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण व्यवस्था की प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	चयनित ग्राम पंचायत संख्या	निरीक्षण की गई पंचायत संख्या	अधिकारी स्तर	निरीक्षण संख्या	नार्मस संख्या	किये गये निरीक्षण की संख्या
1.	अलवर	4	–	–		–	–
2.	जोधपुर	4	–	–		–	–
3.	नागौर	4	1	(1) पंचायत प्रसार अधिकारी	1	–	1
4.	उदयपुर	4	3	(1) अतिरिक्त कलेक्टर (2) विकास अधिकारी (3) कम्प्यूटर इन्जीनियर (4) पंचायत प्रसार अधिकारी	1 10 3 15	– – – –	1 10 3 15
	योग	**16**	**4**				

2.20.6 चयनित जिलों की 16 ग्राम पंचायतों में से अलवर एवं जोधपुर की 8 (50 प्रतिशत) में किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया। नागौर जिले की 1 (25 प्रतिशत) में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा एक बार निरीक्षण किया जाना बतलाया। उदयपुर जिले की 3 (75 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा 1, विकास अधिकारी द्वारा 10, कम्प्यूटर इन्जीनियर द्वारा 3 एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा 15 बार निरीक्षण किया जाना बतलाया गया। इस प्रकार उदयपुर को छोड़कर शेष जिलों की 12 (75 प्रतिशत) ग्राम पंचायत में निरीक्षण नहीं किया गया। अतः विभाग को निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

————

अध्याय – तृतीय

अध्ययन के परिणाम

3.1.0 चयनित प्रतिदर्श का स्वरूप :

3.1.1 करिश्मा परियोजना अन्तर्गत चयनित जिलों के सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से योजना संचालन के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई। योजना की जानकारी हेतु सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तरदाता		
		सरकारी	गैर–सरकारी	योग
1.	अलवर	7	2	9
2.	जोधपुर	6	4	10
3.	नागौर	9	2	11
4.	उदयपुर	3	–	3
	योग	**25**	**8**	**33**

3.1.2 योजना की जानकारी रखने वाले कुल 25 सरकारी कर्मिकों एवं 8 गैर–सरकारी कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क कर योजना की जानकारी के बारे में पूछा गया, शत–प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं ने योजना की जानकारी होना बताया।

3.2.0 योजना संचालन की जानकारी रखने वाले जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों का विवरण :

3.2.1 योजना की जानकारी रखने वाले जिला स्तर/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	कुल अधिकारी/गैर–अधिकारी (संख्या)	अनुसूचियाँ भरने वाले अधिकारी (संख्या)				अनुसूचियाँ भरने वाले गैर–अधिकारी (संख्या)			
			जिला स्तर	पंचायत समिति स्तर	ग्राम पंचायत स्तर	कुल योग	जिला स्तर	पंचायत समिति स्तर	ग्राम पंचायत स्तर	कुल योग
1.	अलवर	9	1	5	1	7	–	–	2	2
2.	जोधपुर	10	–	3	3	6	–	1	3	4
3.	नागौर	11	3	2	4	9	–	–	2	2
4.	उदयपुर	3	–	1	2	3	–	–	–	–
	योग	**33**	**4**	**11**	**10**	**25**	**–**	**1**	**7**	**8**

3.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि कुल 33 अधिकारी/ गैर–अधिकारियों में से 25 (75.76 प्रतिशत) अधिकारी एवं 8 (24.24 प्रतिशत) गैर–अधिकारी थे।

3.2.3 कुल 25 अधिकारियों में से 4 (16.00 प्रतिशत) जिला स्तर के अधिकारी, 11 (44.00 प्रतिशत) पंचायत समिति स्तर के एवं 10 (40.00 प्रतिशत) ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी थे।

3.2.4 कुल 8 गैर–अधिकारी उत्तरदाता में से 1 (12.5 प्रतिशत) पंचायत समिति स्तर का एवं 7 (87.5 प्रतिशत) ग्राम पंचायत स्तर का उत्तरदाता था।

3.3.0 योजना को प्रारम्भ करने सम्बन्धी विवरण :

3.3.1 करिश्मा योजना का संचालन किस वर्ष से किया जा रहा है, के सम्बन्ध में योजना की जानकारी रखने वाले अधिकारी/गैर–अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद का नाम	कुल अधिकारी/ गैर–अधिकारी (संख्या)	योजना प्रारम्भ होने का वर्ष			
			2005	2006	2007	2008
1.	अलवर	9	1	5	1	2
2.	जोधपुर	10	–	10	–	–
3.	नागौर	11	7	4	–	–
4.	उदयपुर	3	–	–	–	3
	योग	**33**	**8**	**19**	**1**	**5**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 33 अधिकारी/ गैर–अधिकारी उत्तरदाता द्वारा योजना प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। कुल उत्तरदाताओं में से 8 (24.24 प्रतिशत) ने वर्ष 2005, 19 (57.58 प्रतिशत) ने वर्ष 2006, 1 (3.03 प्रतिशत) ने वर्ष 2007 एवं 5 (15.15 प्रतिशत) ने वर्ष 2008 से योजना का संचालन किया जाना बतलाया। इस प्रकार योजना का प्रारम्भ वर्ष 2005 से 2008 तक किया जाना बतलाया गया।

3.4.0 परियोजना में जुड़ी पंचायत समितियाँ/ग्राम पंचायतें :

3.4.1 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से क्षेत्र से जुड़ी पंचायत समिति/ ग्राम पंचातयों की जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद का नाम	कुल अधिकारी/ गैर–अधिकारी (संख्या)	क्षेत्र में जुड़ी	
			पंचायत समिति (संख्या)	ग्राम पंचायत (संख्या)
1.	अलवर	9	14	65
2.	जोधपुर	10	9	42
3.	नागौर	11	11	64
4.	उदयपुर	3	11	55
	योग	**33**	**45**	**226**

3.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि चयनित जिलों की कुल 45 पंचायत समिति एवं 226 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया। योजनान्तर्गत सभी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर मय एसेसरीज के प्रदान किया जाना बतलाया गया।

3.5.0 योजना क्या है ? :

3.5.1 चयनित अधिकारी/गैर–अधिकारियों से योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारी/गैर–अधिकारी ने करिश्मा परियोजना का अर्थ ''कम्प्यूटर ओटोमेशन रिफाइन्मेन्ट ऑफ इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड एकाउन्टस्'' बताया। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आपस में कम्प्यूटर एवं वायरलैस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाना है तथा लेखा पंजीयन प्रमाण–पत्र आदि को कम्प्यूटरीकृत करना है। यह योजना इन्टरनेट से सम्बन्धित है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के सॉफ्टवेयर एण्ड़ हार्डवेयर का प्रयोग करके आवश्यक सूचना अविलम्ब प्राप्त की जा सकती तथा किसी भी प्रकार की सूचना का आदान–प्रदान अल्प अवधि में एक स्थान पर बैठकर किया जा सकता है। पंचायत राज संस्थाओं से सम्बन्धित लेखा कार्य, जलग्रहण प्रबन्धन, ग्रामीण विकास कार्य, मासिक कार्य की प्रगति, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, पोषाहार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रमाण–पत्र, लेखा संधारण सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के साफ्टवेयर उपलब्ध है। इस प्रकार योजना की समस्त अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों द्वारा जानकारी होना पाया गया।

3.6.0 योजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्य :

3.6.1 योजनान्तर्गत किस प्रकार कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं कि जानकारी के सम्बन्ध में शत–प्रतिशत अधिकारी/गैर–अधिकारियों द्वारा कनेक्टीविटी के अभाव में कम्प्यूटर नेटवर्क से नहीं जोड़ना बताया गया। कनेक्टीविटी को मुख्यालय से जोड़ना था और सभी साफ्टवेयर व लेखा कार्य एवं निष्पादित कार्यों का डाटा डालना या जिससे संस्था की सूचना के साथ सभी सूचनाओं की लेजर बुक, कैश बुक आदि तैयार

करने का कार्य किया जाना था, परन्तु इन्टरनेट कनेक्टीविटी नहीं होने से कम्प्यूटर पर इन्टरनेट कार्य नहीं किया जाना बतलाया जिससे परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना बतलाया गया। उपकरणों को सैटअप नहीं किया गया जिससे किसी प्रकार का इन्टरनेट कार्य नहीं किया जाना बतलाया गया।

3.7.0 सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायत राज संस्थाऐं (PRI) में परस्पर सम्बन्ध :

3.7.1 33 अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों ने करिश्मा परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पी.आर.आई. के मध्य परस्पर सम्पर्क कायम रहने के सम्बन्ध में प्राप्त विचारों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी / गैर–अधिकारी (संख्या)	सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पी.आर.आई. से सम्पर्क कायम रहता है		पी.आर.आई. पर कम्प्यूटर प्रिन्टर उपलब्ध रहते हैं		वीडियों कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा है
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
1.	अलवर	9	–	9	–	9	–
2.	जोधपुर	10	–	10	–	10	–
3.	नागौर	11	3	8	3	8	3
4.	उदयपुर	3	–	3	–	3	–
	योग	**33**	**3**	**30**	**3**	**30**	**3**

3.7.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त उत्तरदाताओं में से नागौर जिले के 3 (9.09 प्रतिशत) अधिकारियों द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं में सम्पर्क रहना एवं कम्प्यूटर प्रिन्टर उपलब्ध रहना बताया, शेष 30 (90.91 प्रतिशत) द्वारा परस्पर सम्पर्क व कम्प्यूटर प्रिन्टर उपलब्ध नहीं रहना बतलाया।

3.7.3 योजना की जानकारी रखने वाले 33 अधिकारी / गैर–अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग करने की जानकारी प्राप्त की गई तो सिर्फ नागौर जिले के 3 अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग 5–6 बार किया जाना बतलाया।

3.8.0 परियोजना से लाभ :

3.8.1 समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी अधिकारियों से परियोजना के लाभों के बारे में पूछने पर 33 में से 7 (21.21 प्रतिशत) ने कार्य में एकरूपता लाने एवं सभी प्रकार की सूचनाओं के उपयोगी होने के बारे में बतलाया तथा 3 (9.09 प्रतिशत) ने कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए सभी प्रकार के साफ्टवेयर उपलब्ध करवाने के लिए कहा, शेष 23 ने (69.70 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर को इन्टरनेट से नहीं जोड़ने के कारण योजना से लाभान्वित नहीं होना बतलाया, क्योंकि कम्प्यूटर चालू नहीं होने से उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है।

3.8.2 परियोजनान्तर्गत लाभार्थियों को सूचना उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में 23 अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों में से 12 (52.18 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर पर कोई कार्य नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाया जाना, 5 (21.74 प्रतिशत) ने सूचना उपलब्ध करवाया जाना, 3 (13.04 प्रतिशत) ने पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं करवाया जाना एवं 3 (13.04 प्रतिशत) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

3.8.3 आमजन से रिकार्ड/आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति प्राप्ति हेतु शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 23 में से नागौर जिले के 4 अधिकारियों ने शुल्क लिया जाना, अलवर, उदयपुर एवं नागौर के 14 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों ने शुल्क नहीं लेना बतलाया, शेष 5 ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होना बताया। जोधपुर जिले के 10 अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने कार्य आरम्भ नहीं होने के कारण कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिन 4 अधिकारियों ने शुल्क लेने के बारे में बतलाया उनके द्वारा आवेदन पत्र हेतु शुल्क 10/– रुपये एवं प्रतिलिपि शुल्क 2/– रुपये लिया जाना बतलाया।

3.9.0 परियोजना की आवश्यकता :

3.9.1 सरकारी एवं गैर–सरकारी अधिकारियों से परियोजना ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक एवं उपयोगी है, के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अलवर, उदयपुर एवं नागौर के शत–प्रतिशत अधिकारी एवं गैर–सरकारी अधिकारियों ने परियोजना को आवश्यक एवं उपयोगी बतलाया तथा त्वरित कार्य सम्पादन हेतु व्यक्तियों द्वारा सूचना चाहने पर तुरन्त उपलब्ध करवाये जाने के बारे में कहा। सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु कम्प्यूटर नेटवर्क महत्वपूर्ण है तथा योजना से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने में पारदर्शिता रहती है।

3.10.0 भविष्य में प्राप्त होने वाली सुविधाओं सम्बन्धी विवरण :

3.10.1 इस परियोजना से भविष्य में क्या–क्या लाभ/सुविधाऐं प्राप्त हो सकती है। शत–प्रतिशत सरकारी एवं गैर–सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पंचायत राज गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाना सुलभ होना तथा ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर नेटवर्क पर सभी रिकार्ड सुरक्षित रखे जा सकेगें, उच्च स्तर की समस्त सूचनाएँ कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहने से सूचनाओं का आदान–प्रदान करवाना संभव हो सकता है। सम्पूर्ण कार्यक्रम इन्टरनेट से जुड़ सकते है जिससे पोस्टेज खर्चा, यात्रा भत्ता बच सकता है एवं संस्थाओं से सम्पर्क रखने में आसानी रहेगी। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी उपयोगी है तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पंचायत राज की गतिविधियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अल्प समय में हाथों–हाथ दूरदराज के स्थानीय लोगों को उपलब्ध प्रमाण–पत्र एवं सूचना आसानी से मिल जाने के कारण यह योजना अत्यधिक उपयोगी है। जोधपुर जिले के अधिकारी

एवं गैर–अधिकारियों ने योजना पर कोई कार्य नहीं होने से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। योजनान्तर्गत कार्य नहीं किया गया जिससे उपकरण अकार्यशील हो रहे है। उपकरणों को वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। अतः उपकरणों को कार्यशील बनाने के प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए।

3.11.0 परियोजना की उपयोगिता :

3.11.1 परियोजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में अधिकारी एवं गैर–अधिकारी द्वारा प्राप्त विचारों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी / गैर–अधिकारी (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयोगी है	विवरण दिया गया	आमजन को लाभ प्राप्त हो रहा है	साफ्टवेयर में ज्यादा कठिनाई रहती है
1.	अलवर	9	9	9	–	–
2.	जोधपुर	10	–	–	–	–
3.	नागौर	11	11	11	3	11
4.	उदयपुर	3	3	3	1	–
	योग	**33**	**23**	**23**	**4**	**11**

3.11.2 चयनित 33 अधिकारी / गैर–अधिकारियों से यह पूछने पर कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए परियोजना उपयोगी है जोधपुर को छोड़कर 23 (69.7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने परियोजना को ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयोगी बतलाया।

3.11.3 परियोजना किस प्रकार उपयोगी है यह पूछने पर समस्त 23 उत्तरदाताओं ने बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना को संचालित किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पंचायती राज की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा कृषि सम्बन्धी जानकारी भी कम्प्यूटर पर प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार दूर–दराज के लोगों को कृषि सूचना, प्रमाण–पत्र एवं पंचायत राज गतिविधियों की सूचना अल्प अवधि में प्राप्त हो सकेगी।

3.11.4 परियोजना से आमजन को लाभ प्राप्त होने के सम्बन्ध में कुल 33 अधिकारी / गैर–अधिकारियों में से नागौर जिले के 11 में से 3 (27.3 प्रतिशत) अधिकारी एवं उदयपुर के 3 अधिकारियों में से 1 (33.33 प्रतिशत) ने परियोजना से लाभ प्राप्त होना बताया। इस प्रकार नागौर एवं उदयपुर के अधिकारियों ने ही वर्तमान में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाना बतलाया है जो कुल 33 में से 4 (12.12 प्रतिशत) ही है। इससे स्पष्ट है कि 29 (87.88 प्रतिशत) अधिकारी / गैर–अधिकारियों ने परियोजनान्तर्गत कम्प्यूटर को उपयोग नहीं किया जाना बताया।

3.12.0 कम्प्यूटर/साफ्टवेयर की उपलब्धता :

3.12.1 चयनित 33 अधिकारी/गैर–अधिकारी उत्तरदाताओं से साफ्टवेयर की उपलब्धता एवं कार्यशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिसको निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी/ गैर–अधिकारी (संख्या)	कम्प्यूटर साफ्टवेयर उपलब्ध करवाये गये		क्या कम्प्यूटर साफ्टवेयर उपलब्ध थे	यदि साफ्टवेयर उपलब्ध नहीं थे तो कारण	क्या साफ्टवेयर कार्यशील थे		साफ्टवेयर कार्यशील नहीं के होने के कारण (संख्या)
			हाँ	नहीं			हाँ	नहीं	
1.	अलवर	9	9	–	9	–	–	9	9
2.	जोधपुर	10	10	–	10	–	–	10	10
3.	नागौर	11	4	7	4	7	1	3	4
4.	उदयपुर	3	2	1	2	1	1	1	2
	योग	**33**	**25**	**8**	**25**	**8**	**2**	**23**	**25**

3.12.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 33 अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों से पूछने पर कि क्या उनके क्षेत्र में कम्प्यूटर/साफ्टवेयर उपलब्ध करवाये गये। इस सम्बन्ध में 25 (75.76 प्रतिशत) अधिकारी/गैर–अधिकारी ने उपलब्ध करवाया जाना तथा 8 (24.24 प्रतिशत) ने उपलब्ध नहीं करवाया जाना बतलाया एवं शत–प्रतिशत के पास उपलब्ध होना पाया गया। कम्प्यूटर/साफ्टवेयर की कार्यशीलता के सम्बन्ध में 25 अधिकारी/गैर–अधिकारी जिनके द्वारा साफ्टवेयर उपलब्ध होना बताया गया उनमें से 2 (8.00 प्रतिशत) ने कार्यशील बताये, शेष 23 (92.00 प्रतिशत) ने अकार्यशील बताये।

3.12.3 23 अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने कम्प्यूटर/साफ्टवेयर कार्यशील नहीं होना बताया उनमें से अलवर, जोधपुर, उदयपुर के अधिकारी/गैर–अधिकारियों द्वारा कनेक्टीविटी नहीं होना एवं साफ्टवेयर का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बतलाया। नागौर के अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने सिस्टम में वायरस आना, प्रशिक्षण का अभाव एवं बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर की कार्यशीलता में बाधा बतायी है। कम्प्यूटर/साफ्टवेयर में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पत्र भी लिखा जाना बतलाया गया।

3.12.4 विभाग द्वारा आई.आई.टी.लिमिटेड़ कम्पनी जिसकों कार्य करवाये जाने हेतु ठेका दिया गया उसके द्वारा आगामी वर्ष (वारंटी अवधि) तक देखभाल/निगरानी करवायी जाने हेतु भी पाबन्दित किया जाना चाहिए।

3.12.5 कम्प्यूटर के लिए उपलब्ध करवाये गये सॉफ्टवेयर में से कौनसा सॉफ्टवेयर अधिक प्रभावी व उपयोगी है। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर जन्म–मृत्यु, लेखा सम्बन्धी, आय–व्यय सम्बन्धी, पंचायती राज विभाग की योजनाएं, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना अधिकार नियम, घोषणाएं इत्यादि जिनका प्रिन्ट लिया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड एवं एक्सल सॉफ्टवेयर को उपयोगी एवं प्रभावी बतलाया।

3.12.6 यह पूछे जाने पर कि किन सॉफ्टवेयर में कठिनाईयाँ है। इस सम्बन्ध में अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने माइक्रोसॉफ्टवेयर, एक्सल, शक्ति सॉफ्टवेयर में खराबी/एरर आ जाने के कारण कठिनाई बतलायी।

3.13.0 परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था :

3.13.1 परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारी/गैर–अधिकारी के विचार निम्न तालिका में दर्शाये जा रहे है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी/गैर–अधिकारी (संख्या)	कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया (हाँ)	क्या प्रशिक्षण उपयुक्त पाया गया		नहीं तो कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण हेतु क्या किया जाना चाहिए	कम्प्यूटर पर फीडिंग कार्य किया जा रहा है (हाँ)
				हाँ	नहीं		
1.	अलवर	9	8	1	7	7	8
2.	जोधपुर	10	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	नागौर	11	10	3	7	7	10
4.	उदयपुर	3	3	–	3	3	1
	योग	**33**	**21**	**4**	**17**	**17**	**19**

3.13.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 33 अधिकारी/गैर–अधिकारियों में से 21 (63.63 प्रतिशत) द्वारा कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना बतलाया। कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 21 में से 19 (90.48 प्रतिशत) द्वारा कम्प्यूटर फीडिंग कार्य किया जाना बतलाया गया। फीडिंग कार्य करने वाले केशियर, कनिष्ठ लेखाकार, शीघ्रलिपिक, कम्प्यूटर आपरेटर इत्यादि द्वारा कार्य किया जाना बतलाया गया। कुल 21 अधिकारी/गैर–अधिकारियों में से 4 (19.05 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण को पर्याप्त बतलाया, शेष 17 (80.95 प्रतिशत) द्वारा प्रशिक्षण अपर्याप्त बतलाया गया। अतः इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रशिक्षण कम से कम 15 दिवस एवं 1 माह का दिये जाने व त्रैमासिक प्रशिक्षण की पुनरावृति किये जाने का सुझाव दिया गया, क्योंकि पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में कम्प्यूटर के खराब होने से हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खराब होने पर कार्य नहीं हो पाना, मिस्त्री के उपलब्ध नहीं होने से कम्प्यूटर के खराब होने पर सुधार की समस्या रहती है, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों के मिस्त्री उपलब्ध नहीं होने से पर्याप्त मोनेटरिंग एवं रखरखाव बाधित होता है।

3.13.3 कम्प्यूटर के रखरखाव के सम्बन्ध में 23 अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों में से 4 (17.39 प्रतिशत) अलवर एवं 3 (13.04 प्रतिशत) नागौर के, कुल 7 (30.44 प्रतिशत) ने अच्छा प्रबन्ध किया जाना बतलाया वहाँ पर कार्यरत कार्मिकों को रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। करिश्मा सैल में कार्यरत आई.टी.आई. इन्जीनियरों द्वारा कम्प्यूटर में खराबी आने पर ठीक किये जाने की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है, जबकि 16 (69.56 प्रतिशत) अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों ने संसाधनों के रखरखाव की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था नहीं किया जाना बताया। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई पत्राचार भी नहीं किया गया तथा फर्नीचर का अभाव भी पाया गया।

3.13.4 कम्प्यूटर के रखरखाव एवं प्रबन्ध व्यवस्था को उपयुक्त बनाने हेतु अधिकारी एवं गैर–अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक आपरेटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, साफ्टवेयर से सम्बन्धित इन्जीनियरों की नियुक्ति किये जाने का भी सुझाव दिया। अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाकर कम्प्यूटर एवं उपकरणों के रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कम्प्यूटर मोनीटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस. इत्यादि को रखने के लिए समुचित कमरे की व्यवस्था हो तथा जहाँ पर ग्राम पंचायत भवन सड़क के किनारे पर है वहाँ चोरी के भय से सैट–अप नहीं किया जा रहा है, वहाँ चोरी से बचाने की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली कटौती के कारण यू.पी.एस. चार्ज नहीं होने से कनेक्टीविटी बाधित हो जाती है, कार्य सुचारू नहीं चल पाता है और कार्य करने में परेशानी आती है। अतः पंचायत समिति स्तर पर यू.पी.एस. अधिक वॉल्टेज के लगाये जाने चाहिए। पंचायत समिति स्तर पर इन्वर्टर लगाया जावे, बैटरी की अतिरिक्त व्यवस्था की जावे जिससे कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

3.13.5 पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर योजनान्तर्गत मोनिटरिंग किये जाने के सम्बन्ध में 23 अधिकारी/गैर–अधिकारियों में से 6 (26.08 प्रतिशत) ने मोनिटरिंग किया जाना बतलाया। मोनिटरिंग कब–कब की जाती है इस सम्बन्ध में 2 (33.33 प्रतिशत) ने मासिक, 4 (66.67 प्रतिशत) ने पाक्षिक किया जाना बतलाया।

3.13.6 कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली को बिजली की कटौती बाधित करती है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के कमी कम्प्यूटर के संचालन में बाधक रही है। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में 23 अधिकारी/गैर–अधिकारियों में से 14 (60.87 प्रतिशत) ने कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाना बतलाया। नियमित बिजली की सप्लाई नहीं होने से कार्य बन्द पड़ा रहता है, कम्प्यूटर बन्द हो जाते है, यू.पी.एस. चार्ज नहीं हो पाते है, वोल्टेज कम अधिक होने से कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जाना बतलाया। इस हेतु पॉवर के लिए पंचायत समिति स्तर पर इन्वर्टर/बैटरी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

3.13.7 मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों से प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी / गैर–अधिकारी (संख्या)	मासिक प्रगति करिश्मा द्वारा भेजी जा रही है			हाँ, तो कैसे	नही, तो क्या व्यवस्था है
			हाँ	नहीं	D.A.		
1.	अलवर	9	–	9	–	–	हस्तलिखित
2.	जोधपुर	10	–	–	10	–	लागू नहीं
3.	नागौर	11	4	7	–	कम्प्यूटर में फीड करके भेजी जाती है	हस्तलिखित
4.	उदयपुर	3	1	2	–	कम्प्यूटर में फीड करके भेजी जाती है	हस्तलिखित
	योग	**33**	**5**	**18**	**10**	**–**	**–**

3.13.8 मासिक प्रगति भेजने के सम्बन्ध में कुल 33 अधिकारियों / गैर–अधिकारियों में से नागौर एवं उदयपुर के 5 (15.15 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर पर डाटा फीड करके प्रगति भेजने बाबत बताया, शेष 28 (84.85 प्रतिशत) में से जोधपुर जिले के 10 (35.71 प्रतिशत) अधिकारी / गैर–अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर चालू नहीं होने से लागू नहीं होना बताया तथा 18 (64.29 प्रतिशत) ने हस्तलिखित प्रगति तैयार कर भिजवाने हेतु बताया। इस प्रकार अधिकारी / गैर–अधिकारियों के द्वारा भी कम्प्यूटर पर कार्य करने का 15.15 प्रतिशत ही मत रहा जो कुल से 84.85 प्रतिशत कम रहा।

3.14.0 मोनिटरिंग एवं निरीक्षण व्यवस्था :

3.14.1 अनुसूची भरने वाले समस्त अधिकारी / गैर–अधिकारियों से निरीक्षण एवं मोनिटरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला परिषद	अधिकारी / गैर–अधिकारी (संख्या)	योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों का मोनिटरिंग / निरीक्षण किया जाता है			हाँ तो कब–कब		
			हाँ	नहीं	D.A.	वार्षिक	मासिक	पाक्षिक
1.	अलवर	9	–	9	–	–	–	–
2.	जोधपुर	10	–	–	10	–	–	–
3.	नागौर	11	5	6	–	–	1	4
4.	उदयपुर	3	1	2	–	–	1	–
	योग	**33**	**6**	**17**	**10**	**–**	**2**	**4**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट कि अलवर के शत–प्रतिशत अधिकारी/ गैर–अधिकारियों द्वारा मोनिटरिंग/निरीक्षण नहीं किया जाना बतलाया गया, जोधपुर के शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कम्प्यूटर चालू नहीं होने से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, नागौर जिले के 11 में से 5 (45.45 प्रतिशत) अधिकारियों/ गैर–अधिकारियों एवं उदयपुर के 3 में से 1 (33.33 प्रतिशत) अधिकारी द्वारा मोनिटरिंग एवं निरीक्षण किया जाना बतलाया। इस प्रकार कुल 33 में से 6 (18.18 प्रतिशत) द्वारा ही निरीक्षण एवं मोनिटरिंग किया जाना बताया गया। 6 में से 2 (33.33 प्रतिशत) ने मासिक एवं 4 (66.67 प्रतिशत) ने पाक्षिक निरीक्षण किया जाना बतलाया। इस प्रकार मोनिटरिंग एवं निरीक्षण भी 18.18 प्रतिशत ही किया गया जो कुल से 81.82 प्रतिशत कम रहा। अतः मोनिटरिंग एवं निरीक्षण व्यवस्था भी जिलों में कमजोर पायी गई।

3.15.0 **लाभार्थी अनुसूची विवरण :**

3.15.1 इस अनुसूची में परियोजना से लाभान्वित (पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर) व्यक्तियों से भरे जाने का प्रावधान रखा गया। इस अनुसूची में लाभ प्राप्तकर्त्ताओं से साक्षात्कार एवं विचार–विमर्श कर कम्प्यूटर नेटवर्किंग से प्राप्त लाभ, योजना की उपयोगिता एवं आवश्यकता तथा सफलता/असफलता के बारे में विचार प्राप्त कर अंकित किये जाने तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों एवं उनको दूर करने हेतु सुझाव प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा गया, परन्तु नेटवर्किंग कनेक्टीविटी न होने के कारण आमजन को इस योजना में लाभ/सुविधा नहीं मिल सकी। अतः साक्षात्कार के दौरान कोई भी लाभार्थी नहीं मिलने से लाभार्थी अनुसूचियाँ किसी भी जिले की नहीं भरी जा सकी।

————

अध्याय – चतुर्थ

अध्ययन के निष्कर्ष

4.0 करिश्मा परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष, कठिनाइयाँ एवं सुझावों का विवरण इस अध्याय में निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

4.1.0 प्रतिदर्श विवरण :

4.1.1 करिश्मा परियोजना का संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा राज्य के 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों एवं 1114 ग्राम पंचायतों में किया गया है। अध्ययन हेतु चार संभाग यथा– जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर संभाग में से अलवर, जोधपुर, नागौर व उदयपुर जिले का चयन किया गया। प्रत्येक जिले से दो पंचायत समिति एवं चार ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के 10–10 लाभान्वितों से सूचनाऐं एकत्रित की जानी थी, परन्तु लाभान्वितों से सूचना प्राप्त नहीं होने से उनसे अनुसूचियाँ नहीं भरी जा सकी।

4.1.2 इस प्रकार अध्ययन हेतु 4 जिलों की 8 पंचायत समिति एवं 16 ग्राम पंचायतों का चयन क्षेत्र कार्य हेतु किया गया।

4.2.0 करिश्मा परियोजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्य :

4.2.1 करिश्मा परियोजनान्तर्गत जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाकर फार्म व आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आय–व्यय व निर्माण आदि का ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, लेखा वित्त व सूचना का व्यवस्थित प्रबन्धन किया जाकर सूचना का आदान–प्रदान, ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, विभिन्न विभागीय मामलों, सुनवाई आदि की जानकारी, वेतन, पदौन्नति, कार्यकाल आदि की सम्पूर्ण जानकारी को कम्प्यूटरीकृत करना था। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर वर्ष 2005 से 2008–09 तक 44.44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

4.2.2 करिश्मा परियोजना द्वारा जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की उपलब्धता, साफ्टवेयर तैयार करना, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ रखरखाव की जानकारी दी जानी थी तथा पंचायत राज की बेवसाईट पर समस्त रिकार्ड के विशेष साफ्टवेयर, कम्प्यूटर प्रिन्टर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी संस्थाओं के परस्पर सम्पर्क तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा प्रदान की गई जानी थी। यह योजना कहाँ तक सफल रही तथा योजना संचालन में प्राप्त कठिनाइयों एवं सुझाव को आगामी बिन्दुओं पर दर्शाया जा रहा है।

4.3.0 **परियोजना के संचालन में आ रही कठिनाइयाँ एवं निराकरण हेतु सुझाव :**

4.3.1 करिश्मा परियोजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनको प्रभावी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का समावेश इस अध्याय में किया जा रहा है :–

1. **नेटवर्क कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में :**

अध्ययन हेतु चयनित जिला परिषद अलवर, जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर चारों को नेटवर्क से जोड़ा गया है, परन्तु चयनित जिलों की चयनित पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोडने का प्रतिशत 15.21 ही रहा। सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से नहीं जोडने से पंचायत समिति स्तर पर सूचना उपलब्ध होना सम्भव नहीं हो सका है। इसी प्रकार उपलब्धि की दृष्टि से करिश्मा में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये। इसी प्रकार चयनित 16 ग्राम पंचायत में से भी 10 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया, शेष 6 की कनेक्टीविटी नहीं होने से नेटवर्क से नहीं जोडा जा सका। इससे ज्ञात होता है कि संस्थाओं को उपलब्ध करवाये गये उपकरणों का शत–प्रतिशत उपयोग संभव नहीं हो सका है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि उपकरणों का शत–प्रतिशत उपयोग किये जाने हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोडा जाना चाहिए ताकि उपकरणों का उपयोग संभव हो सके एवं पंचायत राज की गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जन समुदाय को प्राप्त हो सके।

2. **पॉवर उपलब्धता की स्थिति :**

नेटवर्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु बिजली की अनियमित सप्लाई चयनित चारों जिलों में पायी गई। बिजली की कटौती से कम्प्यूटर पर प्रभाव होना, पर्याप्त बिजली नहीं मिलना भी कम्प्यूटर के प्रयोग में कमी बतायी है। नागौर जिले के अधिकारियों ने आंधी के कारण टॉवर का टूटना भी बताया है, विद्युत आपूर्ति पूर्णतया नहीं होने के कारण भी कम्प्यूटर के संचालन में कठिनाई आना बताया गया है। चयनित जिलों की अधिकांश पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में भी बिजली की अनियमित सप्लाई पाई जिसके कारण अधिकांश कम्प्यूटर अकार्यशील पाये गये। अलवर की एक पंचायत समिति में बन्दर द्वारा टॉवर के तार काट दिये जाने से भी कम्प्यूटर बन्द पाया गया। इस प्रकार कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बिजली से प्रभावित हो रही है जिससे कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। करिश्मा प्रोजेक्ट किसी न किसी उपरोक्त कारणों से सुचारू रूप से पूर्णतः कार्यशील नहीं पाया गया। विद्युत आपूर्ति पूर्ण नहीं होने से कनेक्टीविटी एवं संचालन में कठिनाइयाँ पायी गई।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जहाँ–जहाँ कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं वहाँ विद्युत आपूर्ति हेतु उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत की आपूर्ति करना/उच्च क्षमता के यू.पी.एस./बैटरिया लगानी चाहिए तथा बिजली की सही फिटिंग एवं नियमित सप्लाई होनी चाहिए। बिजली की समस्या को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए तथा टॉवर में खराबी होने पर उनको शीघ्रता से ठीक करवाया जाना चाहिए।

3. **योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये हार्डवेयर/साफ्टवेयर की उपलब्धता :**

योजनान्तर्गत चयनित जिलों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में हार्डवेयर/साफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण जो उपलब्ध करवाये गये हैं वहाँ पर बिजली की नियमित सप्लाई एवं जयपुर से कनेक्टीविटी नहीं होने से कार्यशील नहीं पाये गये। साफ्टवेयर भी कार्यशील नहीं पाये गये जिसका मुख्य कारण कनेक्टीविटी नहीं होना बताया गया। कम्प्यूटर के सी.पी.यू./यू.पी.एस. अच्छी कम्पनी के उपलब्ध नहीं करवाने व पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। पृथक बजट नहीं होने से रखरखाव में बाधा होती है। कम्प्यूटर/साफ्टवेयर जो उपलब्ध करवाये गये वे अच्छी कम्पनी के नहीं होना, खराब होना व टावर में खराबी आने पर ठीक करवाने की व्यवस्था का अभाव बताया है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कनेक्टीविटी को चालू रखवाने के विभाग को प्रयास करने चाहिए। कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए तथा फर्नीचर व ए.सी.कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। खराब कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर ठीक करवाये जाने चाहिए। आई.टी.आई. लि. नई–दिल्ली का तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होने पर उपलब्ध रहने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए। सम्बन्धित संस्था द्वारा समुचित देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. **प्रशिक्षण के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर संचालन हेतु दिया गया प्रशिक्षण असन्तोषजनक बताया गया। प्रशिक्षण असन्तोषजनक रहने का मुख्य कारण अपर्याप्त एवं अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना बतलाया। अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण कम्प्यूटर संचालन में कठिनाई व्यक्त की गई। कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होने से पूर्णतः कम्प्यूटर पर कार्य करने एवं कम्प्यूटर के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य करने में अधिकांश ने कठिनाई जताई है। स्टाफ में कम्प्यूटर की जानकारी का अभाव/प्रशिक्षण का अभाव पाया गया। ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध नहीं है, कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

अतः सुझाव है कि कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु स्टॉफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। हार्डवेयर/साफ्टवेयर का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावे। प्रशिक्षण अवधि कम से कम 15 दिवस की होनी चाहिए। तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जावें एवं कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध करवाया जावें।

5. **मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने की व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा मासिक प्रगति कम्प्यूटर पर तैयार कर भेजने के सम्बन्ध में अधिकांश द्वारा आन लाइन कनेक्टीविटी नहीं होने से तथा कम्प्यूटर का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण कम्प्यूटर पर सूचनाएं तैयार नहीं किया जाना पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में विभाग को कम्प्यूटर द्वारा सूचना तैयार करने हेतु प्रभावी ढ़ांचा सृजित किया जाना चाहिए तथा सूचना कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए तब ही योजना की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

6. **निरीक्षण एवं मोनेटरिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से निरीक्षण एवं मोनेटरिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि नागौर एवं उदयपुर जिलों एवं पंचायत समिति में ही निरीक्षण किया जाना पाया गया। विभाग द्वारा निरीक्षण के नार्मस निश्चित नहीं होने से निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया जिससे कम्प्यूटर के रखरखाव में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण नहीं हो पाया।

अतः इस सम्बन्ध में निरीक्षण एवं मोनेटरिंग को प्रभावी बनाने हेतु निरीक्षण के नार्मस निश्चित किये जाने चाहिए ताकि निरीक्षण नियमित रूप से होता रहे और योजनान्तर्गत आने वाली कठिनाइयों का जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जा सके।

7. **अन्य कठिनाइयाँ एवं सुझाव :**

(i) कहीं–कहीं कम्प्यूटर के चोरी का भय होने से सुरक्षा का अभाव पाया गया, इस कारण सरपंच, ग्रामसेवक की रखरखाव हेतु जिम्मेदारी तय की जावें।

(ii) पूर्व के वर्षों के आंकड़ों का इन्द्राज नहीं होने से आगामी प्रविष्टियों में कठिनाई आना बतलाया। अतः पूर्व के वर्षों के आंकड़ों का इन्द्राज प्रशिक्षित/लेखा विशेषज्ञ का ज्ञान रखने वाले कर्मियों से कराया जाना चाहिए ताकि एक वृहद डाटाबैस तैयार होकर कार्य चलता रहे ताकि आगामी प्रविष्टियाँ करने में कठिनाई नहीं आवे।

(iii) पृथक कमरे का अभाव, संसाधन के साथ फर्नीचर का अभाव पाया गया। अतः सुझाव है कि कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए तथा फर्नीचर व ए.सी.कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iv) उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र होने से कनेक्टीविटी में बाधा रहती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे टॉवर लगाये जावें कि कनेक्टीविटी बाधित न हो सके।

(v) करिश्मा परियोजना के तहत लगाये गये ग्रामसेवकों का बार–बार स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामसेवकों के स्थानान्तरण से कार्य बाधित होता है। अतः ऐसे कार्यकर्त्ता को तैयार करवाया जावे जो कार्य में रूचि लेकर कार्य सम्पन्न कर सके।

4.4.0 सारांश :

4.4.1 करिश्मा राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरूआत 9 दिसम्बर 2005 को हुई। यह राज्य में सूचना क्रान्ति के युग की शुरूआत थी। इस घटना के बाद राजस्थान भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े वायरलेस नेटवर्क वाला राज्य बना। योजनान्तर्गत 32 जिला परिषद, 237 पंचायत समिति और 9184 ग्राम पंचायते हैं। इनमें से माह जून, 2009 तक प्रथम चरण में सभी जिला परिषद एवं पंचायत समिति के साथ–साथ 1114 ग्राम पंचायतों को शासन सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सर्वर से जोड़ने का कार्य किया गया। इस परियोजना के लिए 47.53 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। जिसमें से मार्च, 2009 तक 44.44 करोड़ रूपये की राशि व्यय को व्यय किया गया। इस व्यय राशि के मध्येनजर राज्य की कुल 9184 ग्राम पंचायतों में से 1114 (12.13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतें तीन वर्ष की अवधि में जोड़ी गई। जोड़ी गई अधिकांश संस्थाओं में नियमित बिजली सप्लाई के अभाव में कार्यप्रणाली बाधित पाई गई, यद्यपि कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु इनवर्टर, बेटरी एवं यू.पी.एस. की व्यवस्था की गई। परियोजनान्तर्गत कार्यकारी वर्ग के वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक 2517 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के बारे में चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने अवगत करवाया कि प्रशिक्षण अपर्याप्त पाठ्यक्रम एवं अल्पावधि के थे। जिसकी वजह से प्रदत्त प्रशिक्षण प्रभावी रूप से कार्य करने में सहायक नहीं रहे। कम्प्यूटर नेटवर्क से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर से की गई शिकायतों का निवारण समय पर नहीं होने से मुख्यालय पर मासिक प्रगति भेजने, लेखा–वित्त, आय–व्यय ब्यौरा, जन्म–मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण–पत्र, संस्थापन आदि कार्य सम्पादन में कठिनाई महसूस किया जाना बतलाया गया।

इस परियोजना के बारे में आमजन को लाभान्वित करने के बारे में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के कार्यकारी वर्ग से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रभावी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आमजन को लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। राज्य की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, प्रभावी प्रशिक्षण, नियमित बिजली आपूर्ति, कार्मिक वर्ग की कार्य पद्धत्ति में बदलाव, संधारण हेतु बजट के प्रावधान एवं आम जनता को व्यवस्था की जानकारी दी जाकर प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।

————

परिशिष्ट–"I"

करिश्मा परियोजना की प्रगति (संभागों की सूची)

क्र.सं.	संभाग	जिला	पंचायत समिति (संख्या)	ग्राम पंचायत (संख्या)	कुल
1.	जयपुर	अलवर	14	65	80
		दौसा	5	34	40
		जयपुर	13	61	75
		झुन्झुनू	8	33	42
		सीकर	8	38	47
		योग	**48**	**231**	**284**
2.	जोधपुर	बाड़मेर	8	40	49
		जैसलमेर	3	31	35
		जालौर	7	32	40
		जोधपुर	9	55	65
		पाली	10	38	49
		सिरोही	5	17	23
		योग	**42**	**213**	**261**
3.	कोटा	बांरा	7	23	31
		बूंदी	4	22	27
		झालावाड़	6	30	37
		कोटा	5	20	26
		योग	**22**	**95**	**121**
4.	अजमेर	अजमेर	8	34	43
		टोंक	6	27	34
		भीलवाड़ा	11	58	70
		नागौर	11	64	76
		योग	**36**	**183**	**223**
5.	उदयपुर	उदयपुर	11	54	66
		डूंगरपुर	5	21	27
		चित्तौडगढ़	14	40	55
		बांसवाड़ा	8	44	53
		राजसमन्द	7	25	33
		योग	**45**	**184**	**234**
6.	बीकानेर	बीकानेर	5	20	26
		चूरू	6	25	32
		गंगानगर	7	33	41
		हनुमानगढ़	3	31	35
		योग	**21**	**109**	**134**
7.	भरतपुर	भरतपुर	9	34	44
		धौलपुर	4	16	21
		सवाईमाधोपुर	5	23	29
		करौली	5	26	32
		योग	**23**	**99**	**126**

संभागवार स्थिति

क्र.सं.	संभाग	स्थिति
1.	जयपुर	284
2.	जोधपुर	261
3.	उदयपुर	234
4.	अजमेर	223
5.	बीकानेर	134
6.	भरतपुर	126
7.	कोटा	121

चयनित संभाग एवं जिला

क्र.सं.	संभाग	चयनित जिला	स्थिति
1.	जयपुर	अलवर	284
2.	जोधपुर	जोधपुर	261
3.	उदयपुर	उदयपुर	234
4.	अजमेर	नागौर	223